



सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.) परीक्षा-2022

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 16/03/2022

आनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 12/04/2022

आनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि: 16/04/2022

### महत्वपूर्ण

यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित/आवश्यक सूचना छिपायी जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारम्भ की जा सकती है।

**विशेष सूचना :- (क)** बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई कोई भी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी। (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नं0 और मान्य ई-मेल आईडी देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं0 पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एस एम एस द्वारा भेजे जायेंगे तथा ई-मेल उनके मान्य ई-मेल आईडी पर प्रेषित किये जायेंगे।

### आन-लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु 'आन-लाइन' आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

1- आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

(i) User Instructions

(ii) View Advertisement

(iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें "आन-लाइन आवेदन पद्धति" लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु "Apply" पर Click करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:-

**प्रथम स्तर-** Apply click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो "Edit" button पर क्लिक करें। भरी गई सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् 'Submit' button पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

**द्वितीय स्तर-** प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्शन के साथ 'Fee to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक MOPS (Multi option Payment System) का Home Page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् "Payment Acknowledgment Receipt (PAR)" प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

**तृतीय स्तर-** द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for final submission of application form पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके Upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियों अंकित करने के बाद "PREVIEW" को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित न करें।

**2. आवेदन शुल्क-** आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैं:-

- (i)- अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :- परीक्षा शुल्क ₹.100/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क अन्य पिछड़ा वर्ग. ₹.0 25/-, योग = ₹.0 125/-
- (ii)- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :- परीक्षा शुल्क ₹.0 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹.0 25/-, योग = ₹.0 65/-
- (iii)- दिव्यांग श्रेणी :- परीक्षा शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹.0 25/-, योग = ₹.0 25/-
- (iv)- भूतपूर्व सैनिक :- परीक्षा शुल्क ₹.0 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹.0 25/-, योग = ₹.0 65/-
- (v)- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल/उत्कृष्ट खिलाड़ी :- अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. ऐसे अभ्यर्थी, जो उ.प्र. लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने/प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

**4. सबमिट किये गये आवेदन में संशोधन:** आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, Aadhaar Number तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है, को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित / वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमत्त है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

"अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात् "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं0, जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् अभ्यर्थी का 'Authentication' OTP (One Time Password) के द्वारा होगा। OTP अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी Option Box में भरेगा। इसके पश्चात् 'Proceed' बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form Submit किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमत्त होगी।"

**नोट:- ऑनलाइन आवेदन के जाँचोपरान्त यदि आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन पत्र Submit किया है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी द्वारा Submit अन्तिम आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जायेगा एवं शेष आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेंगे। चूँकि आवेदन पत्र संशोधन की प्रक्रिया पूर्व प्रस्तर में विहित है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

5. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा-2022 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। कतिपय पदों पर चयन उनकी सेवानियमावलियों में दी गई व्यवस्था के अनुसार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

6. रिक्तियों की संख्या:- वर्तमान में सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 250 हैं। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

रु0 9300-34800 ग्रेड पे रु 4600 (केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे रु. 4200) से रु. 15600-39100 ग्रेड पे रु 5400 तक (छठवें वेतन आयोग के अनुसार) के वेतनमान के पद सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित किये जाते हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :-

डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्य कर), जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी/लेखाधिकारी (कोषागार), गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' (विकास शाखा), अधीक्षक कारागार, प्रबन्धक ऋण (लघु उद्योग), प्रबन्धक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण (लघु उद्योग), अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1/सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, सहायक निदेशक उद्योग (विपणन), सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी (कोषागार), वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी (पंचायती राज), उप सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन), क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी (नगर विकास), जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण), यात्रीकर/मालकर अधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, लेखाधिकारी (स्थानीय निकाय), क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, सहायक निबन्धक (सहकारिता), उप निबन्धक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन), जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला प्रशासनिक आधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग), सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2), जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उपकारापाल, प्राविधिक सहायक (भू-भौतिकी), प्राविधिक सहायक (भूतत्व), व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक (राज्य सम्पत्ति विभाग), प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग), रसायनज्ञ, विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) (खादी तथा ग्रामोद्योग)।

उपर्युक्त पदों में से जिन पदों के अधियाचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है शेष पदों में से जिनके अधियाचन प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व प्राप्त हो जायेंगे, इस परीक्षा में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

**7. आरक्षण :** उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जन जातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों, यथा- उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थियों/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमत्त होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमत्त होगा।

**नोट:-** (1) शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक-26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/2006 दिनांक-09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है" को रिट याचिका संख्या-11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-16-01-2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक-09-01-2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा. न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। (2) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित तथा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (3) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी अवश्य अंकित करें। (4) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। (6) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। (7) उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु समूह 'ग' के पदों की उपलब्धता होने की दशा में नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। (8) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वॉलेंट प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**8. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्त:-** (केवल आयु में छूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :- (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेजुटी प्रदान की गई हो।

**9. वैवाहिक प्रास्थिति:-** ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियों हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

**10. शैक्षिक अर्हता :-** सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित पदों हेतु:- आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने आन-लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करें। किन्तु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हतायें भी हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

**लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद**

क्र.सं.	पदनाम	अर्हताएं
1	उपनिबन्धक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन)	विधि स्नातक
2	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्यसमकक्षीय प्रशासनिक पद, जिलाप्रशासनिक अधिकारी।	स्नातकोत्तर उपाधि।
3	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखापरीक्षा अनुभाग)।	वाणिज्य स्नातक।
4	सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (श्रेणी-1)/सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (श्रेणी-2)।	एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि।
5	वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।	स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक।
6	रसायनज्ञ	(1) कार्बनिक रसायन विज्ञान में एम0एस0सी0 (2) किसी प्रयोगशाला में न्यूनतम तीन वर्ष का रासायनिक विश्लेषण (खाद्य पदार्थ यथा शहद, तेल मसाले आदि) में अनुभव। <b>वरीयता-</b> (1) गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण। (2) रासायनिक विश्लेषण में पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव।
7	विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर)	किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि। अथवा (1) गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (2) कम्प्यूटर कार्य का एक वर्ष का अनुभव।
8	जिला गन्ना अधिकारी, उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' (विकास शाखा)	कृषि स्नातक
9	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	अर्थशास्त्र/समाज शास्त्र/वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि/श्रम संबंध/श्रम कल्याण/श्रम विधि/वाणिज्य/समाज शास्त्र/समाज कार्य/समाज कल्याण/व्यापार प्रबंधन/कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि।

10	व्यवस्था अधिकारी/व्यवस्थापक राज्य सम्पत्ति विभाग	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेक्नालाजी में डिप्लोमा। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेक्नालाजी में स्नातक उपाधि।
----	--	--

**केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद**

11	प्राविधिक सहायक (भू-भौतिकी)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भू-भौतिकी, प्रायोगिक भू-भौतिकी, भूगर्भशास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भशास्त्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (बी.एस.सी. स्तर पर भौतिक शास्त्र, गणित के साथ)।
12	कर निर्धारण अधिकारी	55 प्रतिशत अंको सहित कामर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि।

**नोट:-** विशिष्ट शैक्षिक अर्हता के पदों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा स्पष्ट रूप से "हाँ" का विकल्प भरने पर ही उन्हें उक्त पदों हेतु विचार किया जायेगा।

**11. शारीरिक मापदण्ड :-** शारीरिक मापदण्ड वाले पदों जैसे पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार, जिला कमान्डेन्ट होमगार्ड्स, आबकारी निरीक्षक, उपकारापाल तथा जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी आदि उपलब्ध होने की दशा में सम्बन्धित सेवा नियमावली/अध्यायन के अनुसार उन पर शारीरिक मापदण्ड लागू रहेगा जो कि निम्नवत् है :-

**पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु**

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (सेमी में)	सीना (सेमी में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु- अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों	165	84	89
(दो) अनुसूचित जनजातियों	160	79	84
(तीन) केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु- अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों	152	लागू नहीं।	
(चार) अनुसूचित जनजातियां	147	लागू नहीं।	
(पांच) सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वजन	40 किग्रा	लागू नहीं।	

**जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु**

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीना (से.मी. में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) पुरुष अभ्यर्थी	165	84	89
(दो) महिला अभ्यर्थी	150	79	84
(तीन) पुरुष अभ्यर्थी कुमायूँ और गढ़वाल मंडलों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160	84	89

**अधीक्षक कारागार पद हेतु**

(एक) ऊँचाई- 168 सेमी और कुमायूँ और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थियों की दशा में 163 सेमी से कम नहीं।  
(दो) सीने का घेरा 81.3 सेमी (बिना फुलाए) और 86.3 सेमी (फुलाने पर) (तीन) दृष्टि 6/6

**आबकारी निरीक्षक पद हेतु**

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीना (से.मी. में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) पुरुष अभ्यर्थी	167	81.2	86.2
(दो) महिला अभ्यर्थी (अनु. जाति/अनु.जन जाति)	147		
(तीन) अन्य महिला अभ्यर्थियों हेतु	152		

**उपकारापाल पद हेतु**

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीने की माप (बिना फुलाए)	सीने का फुलाव न्यूनतम (से.मी.)
1- पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	168 से.मी.	81.3 से.मी.	05 से.मी.
2- महिला अभ्यर्थियों के लिए	152 से.मी.	वजन 45 से 58 कि.ग्रा.	

**अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में ऊँचाई की माप निम्नवत् है:-**

**पुरुष** - 160 से.मी.

**महिला** - 147 से.मी.

Cont...

**जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी**

**पुरुष अभ्यर्थी**

1	ऊँचाई	सेंटीमीटर में (न्यूनतम)
(क)	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए	160.0 सेंटीमीटर
(ख)	पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	162.6 सेंटीमीटर
(ग)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	167.7 सेंटीमीटर

2	सीना	बिना फुलाए हुए सेंटीमीटर में	फुलाने पर सेंटीमीटर में
(क)	अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	76.5 सेंटीमीटर	81.3 सेंटीमीटर
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	78.5 सेंटीमीटर	83.5 सेंटीमीटर

**महिला अभ्यर्थी**

	ऊँचाई	सेंटीमीटर में (न्यूनतम)
(क)	अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	147.0 सेंटीमीटर
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	152.0 सेंटीमीटर

**नोट:- अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व भलीभाँति यह सुनिश्चित कर लें कि वे उपर्युक्त शारीरिक योग्यतायें रखते हैं।**

**12. (1) आयु सीमा:-** सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु:- अभ्यर्थियों को 1 जुलाई, 2022 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1982 से पूर्व तथा 1 जुलाई, 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1967 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट :- (क)** उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1977 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(ख)** उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। **(ग)** उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि + 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमत्य होगी।

**नोट:- उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) लेखा प्रवर सेवा संवर्ग के लेखाधिकारी पदों हेतु:-**

(1) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसने किसी भी केन्द्रीयित सेवा अथवा पालिका में एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा कर ली हो, अधिकतम आयु निरन्तर सेवा अथवा सात वर्ष की अवधि, उसमें जो भी कम हो की सीमा तक अधिक होगी।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार होता है, जिसमें कोई चयन किया गया हो तो वह अपनी आयु के आधार पर अगले अनुवर्ती चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार समझा जायेगा।

**13. सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में कतिपय सूचनार्थ:-** (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ. प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹0 200/- एवं आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/-, योग ₹0 225/- तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क ₹0 80/- एवं आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- योग ₹0 105/- निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क ₹0 80/- एवं आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- योग ₹0 105/- निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला, कुशल/उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। **(2)** सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क सबमिट/जमा करना होगा। **(3)** अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। **(4)** मुख्य परीक्षाओं हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे, जिसकी सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। **(5)** केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आधार पर सफल घोषित होंगे। **(6)** अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्रादि भरना होगा। **(7)** विभिन्न पदों के लिए अधिमार्गसाक्षर/साक्षात्कार के समय माँगी जायेंगी, जो अन्तिम होंगी और तत्पश्चात् उनमें कोई परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा एवं इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। **(8)** मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा। **(9)** केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(10)** साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

**नोट:-** अभ्यर्थियों को सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

**14. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:-** (1) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी

अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। **(2)** आन-लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, नाम व पते का जो दावा किया जायेगा, वही मान्य होगा। इसके बाद कोई भी परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। 'गलत'/भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। **(3)** हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को (मुख्य परीक्षा के) आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। **(4)** मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। **(5)** समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमत्य होगा। **(6)** आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। **(7)** परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। **(8)** जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। **(9)** आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, मुख्य (लिखित) परीक्षा के आवेदन पत्र में वैकल्पिक विषय का उल्लेख न होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। **(10)** आयोग, आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरांत संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। **(11)** कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। **(12)** आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। **(13)** नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। **(14)** प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे तथा मुख्य (लिखित) परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु तीन गुना अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे। **(15)** याचिका सं0(सी)165/2005 संजय सिंह बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा माडरेशन/स्केलिंग के संदर्भ में दिये गये निर्णय/आदेश का अनुपालन किया जाएगा। **(16)** ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। **(17)** अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। **(18) परीक्षा के समय अभ्यर्थी OMR Answer Sheet एवं उपस्थिति पत्रक पर मांगी गयी सूचना एवं सभी प्रविष्टियाँ, सही-सही भरें। इन्हें रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में उनकी OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ओएमआर उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाये।** (19) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में, एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे। **(20)** प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी :- 1. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जाएगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा। **(21)** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे। **(22)** अभ्यर्थियों से सामान्य हिन्दी के अनिवार्य प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे। **(23)** प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (disqualify) हो जायेगा। अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा। **(24) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी/कूटचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।**

## सामान्य अनुदेश

1- अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जायेंगे।

2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

4- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिये और तभी आवेदन करें जब सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियों (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-453/79-वी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6- किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7- यदि अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "Contact us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8- फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट-2 पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार परीक्षा की योजना परिशिष्ट-4 पर, प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम परिशिष्ट-5 पर तथा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अनुदेश एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है।

### Detailed Application Form

At the top of the page there is a Declaration. The candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option either to agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-line Application.

### Notification Details:

This section shows information relevant to notification.

### Personal Details:

This section shows information about candidate's personal details i.e. Registration Number, Candidate's Name, Father/Husband's Name, Gender, Date of Birth, UP domicile, Category, Marital Status, Email-ID and Contact Number.

### Other Details of Candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical deformity.

### Education & Experience Details

It shows your educational and experience details.

Candidate Address, Photo & Signature details

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

### Declaration Segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button. Preview page will

display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print. Otherwise using "Back" button option you can modify your details.

**(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)**

For Other Information:

For other information candidates are advised to select desired Option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in>

## CANDIDATE SEGMENT

### NOTIFICATIONS/ADVTS.

### ALL Notifications / Advertisements

### ONLINE FORM SUBMISSION

### 1. Candidate Registration (FIRST STAGE)

### 2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)

### 3. Submit Application Form (THIRD STAGE)

### APPLICATION FORM STATUS

### Update your transaction ID by Double Verification mode

### View Application Status

### List of Applications Having Photo related Objections

### Print Duplicate Registration Slip

### Print Detailed Application Form

### EXAMINATION SEGMENT

### Print Address Slip for sending Documents to Commission [Only for Direct Recruitment]

### DOWNLOAD SEGMENT

### Download Admit Card

### Download Interview Letter

### Download Syllabus

### Know Your Registration No.

### Click here to view Key Answer Sheet

### Regarding Application:

1- On clicking "View Application status" option in candidate Segment page you can see current status of candidate.

2- On clicking "Result" option in candidate Segment page candidate can see result status of periodically.

3- "Interview/Exam Schedule" option in candidate Segment page candidate can see interview and examination schedule details periodically.

4- On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet.

5- On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate.

6- On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view rejected candidate list.

7- On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination.

[Candidates applying on-line need NOT send hard copy of the On-line Application filled by them on-line or any other document/certificate/testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application and retain it for further communication with the UPPSC.] [The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions]. UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

### LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:

On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to advertisement, after which the Web. Link will be disabled.

Cont..


**परिशिष्ट - 1**

**The Procedure relating to upload Photo & Signature:-**

**Guide Lines for Scanning Photograph with Signature**

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in\* .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.
4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
5. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.
6. The application has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identify, it must be genuine and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
7. The signature must be signed only by the application and not by any other person.
8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

**Sample Image & Signature:-**



**परिशिष्ट - 2**

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं:-

आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर और वाराणसी।

**परिशिष्ट-3**

**उ.प्र. की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... पूरा नाम..... मुहर..... पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

**उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....तहसील..... नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... पूरा नाम..... मुहर..... पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।


**(प्रपत्र-I)**

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....  
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रमाण-पत्र संख्या..... दिनांक.....  
वित्तीय वर्ष.....के लिए मान्य  
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पति/पुत्री.....ग्राम/कस्बा.....  
पोस्ट ऑफिस.....थाना.....  
तहसील.....जिला.....राज्य.....  
.....पिन कोड.....के स्थायी निवासी है,  
जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- 5(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- एक हजार वर्ग फिट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड
- अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जाति.....के सदस्य है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।



हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम.....

पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी

मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

**(प्रपत्र-II)**

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र**

**स्वयं घोषणा पत्र**

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... पोस्ट..... ग्राम/कस्बा..... थाना..... ब्लाक..... तहसील..... जिला..... राज्य.....ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं.....जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु.....(शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

**अथवा**

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम).....आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

- 5(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- एक हजार वर्ग फिट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड
- अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।  
नोट: जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-  
दिनांक :-

Cont..

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... तहसील..... ग्राम..... जिला..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपर्युक्त अधिनियम 1993 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान..... हस्ताक्षर.....  
दिनांक..... पूरा नाम.....  
मुहर.....  
जिलाधिकारी.....  
सील.....

**कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप - 1**

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी..... पूरा पता..... से दिनांक..... ने दिनांक..... से दिनांक..... (स्थान का नाम) में आयोजित ..... (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये)..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....  
दिनांक..... नाम.....  
पद.....  
संस्था का नाम.....  
मुहर.....

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप - 2**

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) (सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी (पूरा पता)..... से दिनांक..... ने दिनांक..... से दिनांक..... (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम)..... आयोजित राष्ट्रीय ..... में (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....  
दिनांक..... नाम.....  
पद.....  
संस्था का नाम.....  
पता.....  
मुहर.....

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप - 3**

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नाम..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवास (पूरा नाम)..... विश्वविद्यालय की कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक..... से दिनांक..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद..... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....  
दिनांक..... नाम.....  
पद.....  
संस्था का नाम.....  
मुहर.....

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप - 4**

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाररेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवास (पूरा नाम) ..... में ..... स्कूल में कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक..... से दिनांक..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....  
दिनांक..... नाम.....  
पद.....  
संस्था का नाम.....  
मुहर.....

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक / या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

**नोट:- (1) 30प्र0 के उत्कृष्ट खिलाड़ी के सम्बन्ध में शासनादेश सं.- 02/2022/3/47/का-2/2022 दिनांक- 07 जनवरी 2022 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त शासनादेश में उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रारूप अभी निर्धारित नहीं किया गया है, जिसके निर्धारण के उपरान्त अभ्यर्थियों को यथा समय सूचित किया जायेगा। (2) 30प्र0 के दिव्यांगजन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 03/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 TC दिनांक 30 जुलाई 2021 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त शासनादेश में दिव्यांगजन का प्रारूप अभी निर्धारित नहीं किया गया है, जिसके निर्धारण के उपरान्त अभ्यर्थियों को यथा समय सूचित किया जायेगा।**

**परिशिष्ट - 4**

**परीक्षा की योजना**

सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2022 हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं यथा : (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार की), (2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा) (3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)

**प्रारम्भिक परीक्षा**

सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु प्रारम्भिक परीक्षा दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों की होगी। जिनके उत्तर पत्रक ओ.एम.आर. सीट के रूप में होंगे। सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु प्रारम्भिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट - 5 में उल्लिखित है। प्रत्येक प्रश्न-पत्र 200 अंकों के तथा दो-दो घण्टे अवधि के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे जिनमें क्रमशः 150 व 100 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्नपत्र अपराह्न 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक।

**नोट: (1) प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। (2) मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (disqualify) हो जायेगा। (3) अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा।**

**2. सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए निर्धारित विषय :** मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय होंगे जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट- 6 में उल्लिखित है। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई एक विषय चुनना होगा जिसके दो प्रश्न-पत्र होंगे।

(अ) अनिवार्य विषय	
1. सामान्य हिन्दी	150 अंक
2. निबन्ध	150 अंक
3. सामान्य अध्ययन, प्रथम प्रश्न-पत्र	200 अंक
4. सामान्य अध्ययन, द्वितीय प्रश्न-पत्र	200 अंक
5. सामान्य अध्ययन, तृतीय प्रश्न-पत्र	200 अंक
6. सामान्य अध्ययन, चतुर्थ प्रश्न पत्र	200 अंक

अनिवार्य विषयों यथा सामान्य हिन्दी, निबन्ध तथा सामान्य अध्ययन-प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न - पत्र एवं चतुर्थ प्रश्न- पत्र परम्परागत (Conventioal) प्रकार के होंगे। इन प्रश्न-पत्रों के हल करने की अवधि 3 घण्टे होगी। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के प्रश्न-पत्रों हेतु 3 घण्टे का समय निर्धारित है। वैकल्पिक विषय का प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंको का होगा।

**नोट :** (1) 3 घण्टे वाले प्रश्नपत्र का परीक्षा समय पूर्वान्ह 9.30 बजे से 12.30 बजे तक तथा अपरान्ह 2 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। अभ्यर्थी से सामान्य हिन्दी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे। वैकल्पिक विषय के सभी प्रश्न-पत्रों में 2 खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड में चार-चार प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक खण्ड से कम से कम दो-दो प्रश्न हल करना आवश्यक है।

**(ब) वैकल्पिक विषय**

विषय	विषय	विषय
1. कृषि	11. मनोविज्ञान	21. यान्त्रिक अभियान्त्रिकी
2. प्राणि विज्ञान	12. वनस्पति विज्ञान	22. विद्युत अभियान्त्रिकी
3. रसायन विज्ञान	13. विधि	23. अंग्रेजी साहित्य
4. भौतिक विज्ञान	14. पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	24. उर्दू साहित्य
5. गणित	15. सांख्यिकी	25. हिन्दी साहित्य
6. भूगोल	16. प्रबन्ध	26. संस्कृत साहित्य
7. अर्थशास्त्र	17. राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	27. वाणिज्य एवं लेखांकन
8. समाजशास्त्र	18. इतिहास	28. लोक प्रशासन
9. दर्शनशास्त्र	19. नृ विज्ञान	29. चिकित्सा विज्ञान
10. भू-विज्ञान	20. सिविल अभियान्त्रिकी	

**3. व्यक्तित्व परीक्षा/मौखिक परीक्षा (कुल अंक 100) :** यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुये सामान्य अभिरूचि के विषयों से सम्बन्धित होगी।

Cont...

## परिशिष्ट-5

### सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा से सम्बन्धित प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र-1 सामान्य अध्ययन-I

अवधि-दो घण्टे  
अंक - 200

- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें
  - भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
  - भारत एवं विश्व का भूगोल- भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल
  - भारतीय राजनीति एवं शासन- संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारिक मुद्दे (राइट्स इश्यूज) आदि
  - आर्थिक एवं सामाजिक विकास-सतत विकास, गरीबी, अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि
  - पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है
  - सामान्य विज्ञान
  - **राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें:** राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी।
  - **भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन:** इतिहास के अन्तर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है।
  - **भारत एवं विश्व का भूगोल:** भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल: विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।
  - **भारतीय राजनीति एवं शासन-संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारिक प्रकरण आदि:** भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अन्तर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे।
  - **आर्थिक एवं सामाजिक विकास- सतत विकास, गरीबी अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि:** अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा।
  - **पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन:** इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है।
  - **सामान्य विज्ञान:** सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है।
- नोट:** अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो।

## प्रश्नपत्र-2

### सामान्य अध्ययन-II

अवधि-दो घण्टे  
अंक - 200

- काम्प्रिहेन्सन (विस्तारीकरण)
  - अन्तर्व्यक्तिक क्षमता जिसमें सम्प्रेषण कौशल भी समाहित होगा।
  - तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता।
  - निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान।
  - सामान्य बौद्धिक योग्यता।
  - प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक- अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित व सांख्यिकी।
  - सामान्य अंग्रेजी हाईस्कूल स्तर तक।
  - सामान्य हिन्दी हाईस्कूल स्तर तक।
- प्रारम्भिक गणित (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय
- 1. अंकगणित:**
- (1) **संख्या पद्धति:** प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय-अपरिमेय एवं वास्तविक संख्यायें, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्यायें। पूर्णांक संख्याओं का लघुतम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य तथा उनमें सम्बन्ध।
- (2) औसत
- (3) अनुपात एवं समानुपात
- (4) प्रतिशत
- (5) लाभ-हानि
- (6) व्याज- साधारण एवं चक्रवृद्धि
- (7) काम तथा समय
- (8) चाल, समय तथा दूरी
- 2. बीजगणित**
- (1) बहुपद के गुणनखण्ड, बहुपदों का लघुतम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य एवं उनमें सम्बन्ध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण
- (2) समुच्चय सिद्धान्त: समुच्चय, उप समुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियायें (संघ, प्रतिच्छेद, अन्तर, समिमित अन्तर), बेन-आरेख
- 3. रेखागणित:**
- (1) त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलम्ब चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उनके गुण सम्बन्धी प्रमेय तथा परिमाण एवं उनके क्षेत्रफल,
- (2) गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु तथा धन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल।
- 4. सांख्यिकी:** आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारम्बारता, बारम्बारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारम्बारता, आंकड़ों का निरूपण, दण्डचार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारम्बारता बहुभुज, संचयी बारम्बारता वक्र, केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप- समान्तर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक।

### General English Upto Class X Level

1. Comprehension
2. Active Voice and Passive Voice
3. Parts of Speech
4. Transformation of Sentences
5. Direct and Indirect Speech
6. Punctuation and Spellings

7. Words meanings
8. Vocabulary & Usage
9. Idioms and Phrases
10. Fill in the Blanks

### सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

- (1) हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह
- (2) शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ
- (3) शब्द-रूप
- (4) संधि, समास
- (5) क्रियायें
- (6) अनेकार्थी शब्द
- (7) विलोम शब्द
- (8) पर्यायवाची शब्द
- (9) मुहावरे एवं लोकोक्तियां
- (10) तत्सम एवं तद्भव, देशज, विदेशी (शब्द भंडार)
- (11) वर्तनी
- (12) अर्थबोध
- (13) हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ
- (14) उ०प्र० की मुख्य बोलियाँ

## परिशिष्ट-6

### सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु निर्देश तथा पाठ्यक्रम

1. आयोग प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देंगे। किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता/ पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। 2. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें अन्यथा दण्डस्वरूप उनके अंकों में कटौती की जायेगी। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपना नाम न लिखें अन्यथा उन्हें परीक्षा के लिये अनर्ह घोषित किया जा सकता है। 3. यदि अभ्यर्थी की हस्तलिपि अस्पष्ट/अपठनीय है तो उसके प्राप्तियों के कुल योग में से कटौती की जा सकती है। 4. अभ्यर्थी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी रोमन लिपि में अथवा हिन्दी देवनागरी लिपि में अथवा उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं परन्तु उन्हें भाषा के प्रश्न-पत्र का उत्तर जब तक की प्रश्न में अन्यथा निर्दिष्ट न हो अनिवार्य रूप से उसी भाषा में लिखना होगा। 5. प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी लिपि में व हिन्दी देवनागरी लिपि में होंगे। 6. सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय के प्रश्न-पत्रों का पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लिखित विवरण के अतिरिक्त, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी से अपेक्षित स्तर का होगा।

### सामान्य हिन्दी

- (1) दिये हुए गद्य खण्ड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। (2) संक्षेपण। (3) सरकारी एवं अर्धसरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र (4) शब्द ज्ञान एवं प्रयोग (अ) उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, (ब) विलोम शब्द, (स) वाक्यांश के लिए एक शब्द (द) वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि (5) लोकोक्ति एवं मुहावरे।

### निबन्ध

#### निबन्ध हिन्दी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिखे जा सकते हैं।

निबन्ध के प्रश्न-पत्र में 3 खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड से एक-एक विषय पर 700 (सात सौ) शब्दों में निबन्ध लिखना होगा। प्रत्येक खण्ड 50.-50 अंकों का होगा। तीनों खण्डों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबन्ध के प्रश्न होंगे।

खण्ड (क)	खण्ड (ख)	खण्ड (ग)
1. साहित्य और संस्कृति	1. विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी	1. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
2. सामाजिक क्षेत्र	2. आर्थिक क्षेत्र	2. प्राकृतिक आपदाएं भू-स्खलन भूकम्प, बाढ़, सूखा, आदि।
3. राजनैतिक क्षेत्र	3. कृषि उद्योग एवं व्यापार	3. राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं

### सामान्य अध्ययन-I

1. भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे।
2. आधुनिक भारतीय इतिहास (1757 ई० से 1947 ई० तक)- महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि।
3. स्वतंत्रता संग्राम- इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति/उनका योगदान।
4. स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन (1965 ई० तक)।
5. विश्व के इतिहास में 18 वीं सदी से बीसवीं सदी के मध्य तक की घटनाएं जैसे फ्रांसीसी क्रान्ति 1789, औद्योगिक क्रान्ति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे।
6. भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं।
7. महिलाओं की समाज और महिला-संगठनों में भूमिका, जनसंख्या तथा सम्बद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय।
8. उदासीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव।
9. सामाजिक सशक्तीकरण, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।
10. विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण- जल,मिट्टियाँ एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में (भारत के विशेष संदर्भ में)।
11. भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएँ, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं।
12. भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता।
13. मानव प्रवास- विश्व की शरणार्थी समस्या- भारत- उपमहाद्वीप के संदर्भ में।
14. सीमान्त तथा सीमाएं- भारत उप- महाद्वीप के संदर्भ में।
15. जनसंख्या एवं अधिवास- प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम।

Cont...

16. उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान—इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्योहार, लोक—नृत्य साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति—रिवाज एवं पर्यटन।  
17. उ०प्र० का विशेष ज्ञान— भूगोल—मानव एवं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियाँ, वन वन्य—जीव, खदान और खनिज, सिंचाई के स्रोत।

### सामान्य अध्ययन— II

- भारतीय संविधान— ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका।
- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।
- केन्द्र—राज्य वित्तीय सम्बन्धों में वित्त आयोग की भूमिका।
- शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग।
- भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना।
- संसद और राज्य विधायिका— संरचना, कार्य, कार्य—संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य— सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहित वाद (पी०आई०एल०)।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व।
- सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध—न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत— उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग।
- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई०सी०टी०)।
- विकास प्रक्रियाएं—गैर सरकारी सगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक।
- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य— निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतर के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय।
- गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई—गवर्नेंस—अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय।
- लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका।
- भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।
- भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।
- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच— उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्य भाग।
- उ०प्र० के राजनैतिक, प्रशासनिक, राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी।
- क्षेत्रीय, प्रान्तीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम।

### सामान्य अध्ययन— III

- भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ, नीति (एन०आई०टी०आई०) आयोग की भूमिका, संपोषणीय विकास के लक्ष्य, एस०डी०जी० की प्राप्ति के प्रयास।
- गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी संवृद्धि।
- सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली।
- प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई—तकनीकी।
- अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि सहायकी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली—उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण खाद्य सुरक्षा एवं बफर भण्डार, कृषि सम्बन्धित तकनीकी अभियान टेक्नालाजी मिशन।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग—कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, उर्ध्व व अधोप्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
- भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार।
- भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक संवृद्धि पर प्रभाव।
- आधारभूत संरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—विकास एवं अनुप्रयोग (दैनिक जीवन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में, भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति)।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, प्रौद्योगिकी का देशीकरण। नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण, द्विअनुप्रयोगी एवं क्रान्तिक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियों।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से सम्बन्धित मुद्दे।
- पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आंकलन।
- आपदा: गैर—पारम्परिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में, आपदा उपशमन एवं प्रबन्धन।
- अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ: आणुविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तन्त्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक तन्त्रीयता, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लाउन्डरिंग तथा मानव तस्करी।
- भारत की आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ: आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रतिविद्रोह तथा संगठित अपराध।
- सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन।
- उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान:— उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का सामान्य विवरण, राज्य के बजट। कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना एवं भौतिक संसाधनों का महत्व। मानव संसाधन एवं कौशल विकास, सरकार के कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाएं।
- कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे।
- उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून एवं व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा।

### सामान्य अध्ययन— IV

- नीतिशास्त्र तथा मानवीय अन्तः** सम्बन्ध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सारतत्व, इसके निर्धारक और परिणाम : नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। मानवीय मूल्य—महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।
- अभिवृत्ति:** अर्तवस्तु (कंटेंट), संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध,

- नैतिक और राजनीतिक अभिरूचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना।
- सिविल सेवा के लिए अभिरूचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर— तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा।
- संवेगात्मक बुद्धि:** अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग।
- भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान।
- लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र :** स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था (फंडिंग) में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था।
- शासन व्यवस्था में ईमानदारी:** लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान—प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक—निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां।
- उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

### (1) कृषि प्रश्नपत्र — प्रथम

(खण्ड—अ)

पारिस्थितिकीय विज्ञान और उसकी प्रासंगिकता। प्राकृतिक संसाधन एवं उसका संरक्षण प्रबन्धन। फसलों के उत्पादन तथा वितरण में वातावरणीय कारक। फसलों की वृद्धि पर जलवायुवीय तत्वों का प्रभाव। शस्यक्रम पर पर्यावरणीय परिवर्तन का प्रभाव। प्रदूषित पर्यावरण तथा उससे सम्बन्धित बाधाओं का मानव, पशु तथा फसल पर प्रभाव।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में शस्यक्रम प्रणाली अधिक उत्पादन तथा अल्पकालीन प्रजातियों का शस्यक्रम प्रणाली में बदलाव। बहुशस्यन, बहुमंजिली रिले तथा अंतराशस्य की अवधारणीय एवं समगतिशील खाद्य उत्पादन से सम्बन्धित महत्व। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ तथा रबी मौसमों में उत्पादित मुख्य अनाज, दलहन, तिलहन, रेशा, शर्करा तथा नगदी फसलों के उत्पादन हेतु संस्तुत विधियाँ।

वानिकी का महत्व एवं विशेषताएं। सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी के सन्दर्भ में विभिन्न प्रकार के वानिकी पौधों का प्रवर्धन। खरपतवार उनकी विशेषतायें तथा विभिन्न फसलों के साथ उनका सहयोग व गुणन। खरपतवार का संवर्धन, जैविक तथा रासायनिक नियन्त्रण। मृदा निर्माण की विधियां तथा कारक, भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण, आधुनिक संकल्पनाओं सहित। मृदाओं के खनिज लवण तथा कार्बनिक संघटक तथा मृदा उत्पादकता बनाये रखने में उनकी भूमिका। समस्यात्मक मृदाएं भारत में उनका विस्तार एवं सुधार। मृदा तथा पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों पादप तत्वों व अन्य लाभकारी तत्वों की प्राप्ति तथा उनके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, उनकी क्रियाएं तथा चक्रण। नाइट्रोजन का सहजीवी तथा असहजीवी स्थिरीकरण। उर्वरकता के सिद्धान्त, मूल्यांकन तथा विवेकपूर्ण उर्वरक प्रयोग। जल सम्भर के आधार पर मृदा संरक्षण प्रबन्धन। पहाड़ी, पद पहाड़ी तथा घाटियों में अपरदन व अपवाह का प्रबन्ध तथा इनको प्रभावित करने वाली क्रियाएं तथा कारक। शुष्क भूमि कृषि तथा उससे सम्बन्धित समस्याएं। वर्षाधीन कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की तकनीक। जैविक खेती की आवश्यकता तथा अवसर।

(खण्ड—ब)

शस्य उत्पादन से सम्बन्धित जल उपयोग क्षमता। सिंचाई क्रम के आधारभूत मानक सिंचाई जल के बाद अपवाह को कम करने की विधियां, जलाक्रांत भूमि से जल निकास। कृषि क्षेत्र प्रबन्धन का नियोजन व लेखा में महत्व व लक्षण तथा उसका क्षेत्र, कृषि निवेशों तथा उपजों का विपणन और मूल्यों का उतार चढ़ाव एवं उनकी लागत व्यय। सहकारिता का कृषि अर्थव्यवस्था में महत्व, विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों तथा उनकी किस्मों तथा उनको प्रभावित करने वाले कारक। कृषि विस्तार महत्व तथा भूमिका, कृषि विस्तार कार्यक्रमों का मूल्यांकन, विसरण संचार व नई तकनीकों का अनुसरण। कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि उत्पादन व ग्रामीण रोजगार में उनकी भूमिका। प्रसार कार्यकर्ताओं व किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रसार विधियां तथा कार्यक्रम प्रशिक्षण एवं भ्रमण, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र एन.ए.टी.पी.व. आई वी.एल.पी.।

### कृषि प्रश्न पत्र — II

(खण्ड—अ)

आनुवांशिकता और विभिन्नता, मंडल का आनुवांशिकता नियम, क्रोमोसोम आनुवांशिकता सिद्धान्त, कोशिकाद्रव्यी वंशागति। लिंग सहलग्न, लिंग प्रभावित तथा लिंग सीमित गुण। स्वतः और प्रेरित उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में रसायनों का महत्व। फसलों का उद्गम तथा घरेलूकरण। खेतों में उगायी जाने वाली प्रमुख पादप जातियों से संबंधित जातियों की आकारिकी तथा विभिन्नता के स्वरूप। फसल के सुधार के कारक और इनमें विभिन्नता का उपयोग।

प्रमुख फसलों के सुधार में पादप—प्रजनन सिद्धान्तों का उपयोग। स्वपरागण और परपरागण वाली फसलों की जनन विधियां। पुनः स्थापन, चयन, संकरण, नर वन्धता तथा स्वयं अंसंगति। प्रजनन में उत्परिवर्तन तथा बहुगुणितता का उपयोग। बीज प्रौद्योगिकी तथा उसका महत्व। बीजों का उत्पादन, संसाधन, भण्डारण तथा परीक्षण। राष्ट्रीय व राज्य की बीज निगमों की बीज उत्पादन में भूमिका। उन्नत किस्मों के बीजों का संसाधन व विपणन।

शरीर क्रिया विज्ञान का कृषि विज्ञान में महत्व। प्रोटोप्लाज्म के रसायनिक व भौतिक गुण, निषेध, पृष्ठतलतनाव, प्रसार और असमस। जल का अवशोषण तथा स्थानान्तरण, वाष्पोत्सर्जन और जल की मितव्ययिता।

(खण्ड—ब)

प्रक्रिण्व (इन्जाईम) और पादप रंजक। प्रकाश संश्लेषण की आधुनिक संकल्पनाएँ तथा इन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। वायवीय व अवायवीय श्वसन। वृद्धि व विकास, दीप कालिता और बसन्तीकरण। पादप नियामकों की कार्यविधि तथा कृषि उत्पादन में महत्व। प्रमुख फल, सब्जियों तथा शोभाकारी फसलों की अपेक्षित जलवायु तथा इनकी खेती की संज्ञेष्टन प्रथा, समूह और इसका वैज्ञानिक आधार। फल व सब्जी तोड़ने के पहले व बाद की संभाल व संसाधन। सब्जी व फलों के परिरक्षण की विधियां। परिरक्षण तकनीकी तथा उपकरण। भूदृष्य व पुष्पीय पौधों, इसके साथ शोभाकारी पौधों की खेती। उद्यान एवं इसके भाग, उद्यान की अभिकल्पना और रचना। प्रदेश के फल, सब्जी व शोभाकारी पौधों की बीमारियां और कीट तथा इनके नियंत्रण करने की विधियां। एकीकृत कीट व रोग प्रबन्धन। कीटनाशी दवाओं की संरचना, फसल सुरक्षा के यंत्र तथा उनकी देख—रेख। अनाज और दलहन के भण्डार में नाशक कीट, भंडार गोदामों की स्वच्छता तथा उनके सम्बन्ध में सावधानी और अनुरक्षण। भारत में खाद्य उत्पादन और उपयोग की प्रवृत्तियां। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीतियां। समर्थन मूल्य पर अनाजों की खरीददारी, वितरण संरक्षण व उत्पादन की समस्याएं।

### (2) प्राणि विज्ञान

(प्रश्न पत्र—1)

(अकार्डेटा, कार्डेटा, पारिस्थितिकी, व्यवहारिकी जैव सांख्यिकी और आर्थिक प्राणि विज्ञान)

### खण्ड—अ अकार्डेटा और कार्डेटा

- जीव विविधता:** निम्नलिखित फाइलम के सामान्य सर्वक्षण, वर्गीकरण और परस्पर सम्बन्ध 2. **प्रोटोजोआ:** चलन, पोषण, जनन मानव, परजीवी —प्रोटोजोआ एवं रोग 3. **पोरिफेरा—** नाल तंत्र, कंकाल तथा जनन, 4. **नाइडेरिया:** बहुरुपता, प्रवाल भित्तियां, मेटाजेनेसिस। 5. **प्लेटीहेलिमन्थीज:** परजीवी अनुकूलन तथा परपोषी —परजीवी सम्बन्ध। 6. **ऐनेलिडा:** पॉलीकीटा में अनुकूलि विकिरण। 7. **आर्थोपोडा:** क्रस्टेशिया में लार्वा— प्रारूप तथा परजीविता , झींगा के उपांग, आर्थोपोडा में दृष्टि और श्वसन, कीटों में सामाजिक जीवन तथा कायान्तरण। 8. **मोलस्का:** श्वसन, मुक्ता निर्माण। 9. **इकाइनोडर्मेटा:** सामान्य संगठन, लार्वा—प्रारूप तथा

Cont..











तथा मादा— युग्मकोदिभद निषेचन, भ्रूण तथा भ्रूणपोष का विकास।

**6. वर्गीकरण—** वर्गीकरण के सिद्धान्त, आवृतबीजी के वर्गीकरण की पद्धतियाँ (बेन्थम एवं हुकर, तख्ताजान) वनस्पतिक नामकरण के नियम, कीमोटेक्सानामी, रैननकुलेसी, मैग्नोलियेसी, ब्रैसिकेसी, मालवेसी, फेबेसी, रोजेसी, एपियेसी, कुकरबिटेसी, एस्टेरेसी, रूबीऐसी, एपोसाइनेसी सोलनेसी, ऐकैनथेसी, वर्बीनेसी, लैमिनेसी, यूफोर्बोयेसी, एरीकेसी, ऑर्किडेसी, पोएसी।

**7. आकृति जनन—** सहसम्बन्ध, धुविता, सममितित, पूर्णशक्तिता, ऊतको एवम् अंगो का विभेदन तथा पुनरुत्पादन कोशिका, ऊतक, अंग तथा जीवद्रव्यक संबर्द्धन की विधियाँ और अनुप्रयोग। सोमाक्लोनल विभिन्नता कायिक संकर तथा कोशिका द्रव्य संकर।

#### वनस्पति विज्ञान : द्वितीय— प्रश्न पत्र

कोशिका जीव विज्ञान, अनुवंशिकी कार्यिकी, जैव रसायन, परिस्थितिकी तथा आर्थिक वनस्पति विज्ञान

**1. कोशिका जीव विज्ञान—** कोशिका जीवन की संरचना एवं कार्य की इकाई के रूप में असीम केन्द्रीकी तथा संसीम केन्द्रीकी कोशिकाओं की अतिसूक्ष्म संरचना, प्लाज्मा, झिल्ली, एण्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हरित लवक, माइटोकॉण्ड्रिया राइबोसोम, गाल्जीकाय तथा केन्द्रक की संरचना एवं कार्य, कोशिका चक्र का विस्तृत अध्ययन, सुत्री एवम् अद्विसूत्री विभाजन गुणसुत्रों में संख्यात्मक एवम् रचनात्मक परिवर्तन तथा उनके कोशिका विज्ञानिक तथा आनुवंशिक प्रभाव।

**2. आनुवंशिकी—** मेण्डेल के वंशागति के नियम, जीनों की अन्योन्य अधामन क्रिया, सहलग्नता तथा जीन विनियम, कवकों, जीवाणुओं और विशाणुओं में आनुवंशिक पुनर्योजन, जीन प्रतिचित्रण, लिंग सहलग्नता लिंग निर्धारण कोशिका द्रव्यीय वंशागत, पाल्जमीडस आनुवंशिकी तथा जीन की संकल्पना आनुवंशिकी कोड।

**3. आणविक आनुवंशिकी —** डी एन ए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डी एन ए की संरचना तथा प्रतिकृति, प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लीयिक अम्लों का कार्यभार (ट्रान्सक्रिप्शन तथा ट्रान्सलेशन) और जीन अभिव्यक्ति का विनियमन, उत्परिवर्तन और विकास, डी एन ए विकृत एवम् सुधार जीन प्रवर्धन, जीन पुनर्विन्यास और ऑन्कोजीन। आनुवंशिक अभियांत्रिकी: रेस्ट्रिक्शन एन्जाइम, क्लोनिंग जीन वाहक (PBR-322, PT1 लेम्बडा—फाज) पुनर्संयोजित डी एन ए जीन स्थानान्तरण, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का मानव कल्याण में अनुप्रयोग।

**4. कार्यिकी और जैव रसायन—** पादपों का जलसंबंध, अवशोषण, जल संवहन और वाष्पोत्सर्जन, खनिज पोषण और आयन अभिगमन, प्रकाश, संश्लेषित पदार्थों का स्थानान्तरण, आवश्यक माइक्रो तथा मैक्रो तत्व और उनके कार्य। कार्बोहाइड्रेट्स की रसायनिकी और वर्गीकरण, प्रकाश संश्लेषण: क्रिया विधि, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, C3 तथा C4 चक्र प्रकाश श्वसन, प्रकिण्व तथा सहप्रकिण्व, प्रकिण्व की क्रिया विधि, गौड़ उपपत्ती (एल्केलॉयड, स्टीरॉयड, टर्पीन्स, लिपिड) पादप श्वसन तथा किण्वन, नाइट्रोजन योगिकीकरण तथा नाइट्रोजन उपपचय, प्रोटीन की संरचना और संश्लेषण, पादप वृद्धि गतियाँ तथा जीर्णता, वृद्धि हॉर्मोन, वृद्धि विनियमन और उनकी रासायनिक प्रकृति कृषि एवम् उद्यान कृषि में उनका कार्यभार और महत्व, पुष्पन की कार्यिकी, लैंगिक अनिशोच्यता, बीज का अंकुरण और प्रसुप्ति।

**5. पारिस्थितिकी —** पारिस्थितिकी का विस्तार, पारिस्थितिकी कारक, पादप समुदाय और पादप अनुक्रमण, जीवमण्डल की संकल्पना, अजैविक और जैविक घटक, पारिस्थिति तंत्र संरचना और कार्य, पारिस्थितितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी की अनुप्रयोगिक अभिमुखतायें— प्राकृतिक संपदा और उसका संरक्षण संकटापन्न और विशेष क्षेत्री टैक्सा, प्रदुषण और उसका नियंत्रण।

**6. आर्थिक वनस्पति विज्ञान —** पादपों का भोजन, तन्तु टिम्बर, औषध, रबर, पेय पदार्थ, मसाले, रेजिन और गोंद रंजक, वाष्पशील तेल, कीटनाशी जैव उर्वरक, अलकारक पादप, ऊर्जारोपण तथा पेट्रोलियम के स्रोत के रूप में।

#### (13) विधि प्रथम प्रश्न—पत्र

##### (खण्ड—अ) संवैधानिक विधि एवं प्रशासनिक विधि

- संविधान सांविधानिक विधि, सांविधानिक परिपाटियाँ, संविधानवाद
- भारतीय संविधान के मुख्य तत्व तथा प्रकृति
- संघवाद, अध्यक्षीय बनाम संसदीय प्रकार की सरकार, शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त, विधि का शासन
- मौलिक अधिकार:** प्रकृति तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक दायित्वों से सम्बन्ध। मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकार विशिष्टतः, समता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, सांविधानिक उपचार का अधिकार, सूचना का अधिकार, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार
- राष्ट्रपति की सांविधानिक स्थिति तथा मंत्रिपरिषद से उसके सम्बन्ध, राज्यपाल की सांविधानिक स्थिति तथा उसकी शक्तियाँ
- उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय:** उनकी शक्तियाँ तथा अधिकारिता, जनहितवाद
- संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, संघ, राज्यों तथा स्वायत्त संस्थाओं के प्रशासनिक एवं वित्तीय सम्बन्ध।
- नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त:** उभरते आयाम तथा न्यायिक प्रवृत्तियाँ।
- प्रत्यायोजित विधान, इसकी सांविधानिकता तथा इस पर न्यायिक एवं विधायी नियंत्रण।
- संघ तथा राज्यों के अधीन सेवार्य:** नियुक्तियाँ, सेवा शर्तें तथा सांविधानिक सुरक्षा। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग: कार्य तथा शक्तियाँ
- आपात उपबन्ध
- निर्वाचन आयोग कार्य तथा शक्तियाँ
- संसदीय विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ
- संविधान का संशोधन
- अम्बुड्समैन:** लोकपाल, लोक आयुक्त इत्यादि

##### (खण्ड—ब) अन्तर्राष्ट्रीय विधि

- अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति।
- स्रोत:** संधि, रूढ़ि सम्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के साधारण सिद्धान्त, विधि निर्धारण के लिये समनुशंगी साधन।
- अन्तर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के बीच सम्बन्ध, भारतीय संविधान में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा का परिवर्धन और अन्तर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने सम्बन्धी विधायन के उपबन्ध।
- राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार।
- राज्यों के राज्य क्षेत्र:** अर्जन और खोने की रीतियाँ।
- समुद्र:** अन्तर्देशीय जल मार्ग, क्षेत्रीय समीपस्थ क्षेत्र, महाद्वीपीय उपतट, अनन्य आर्थिक परिक्षेत्र तथा राष्ट्रीय अधिकारिता से परे समुद्र।
- आकाशीय क्षेत्र तथा विमान संचालन।
- वाह्य अन्तरिक्ष:** वाह्य अन्तरिक्ष की खोज तथा उपयोग।
- व्यक्ति, राष्ट्रीयता, राज्यहीनता, अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारवादी विधि के मौलिक सिद्धान्त—अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदायें और समसामयिक विकास, मानवाधिकार और राष्ट्रीय विधि में इसका प्रवर्तन—राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
- राज्यों की अधिकारिता, अधिकारिता का आधार, अधिकारिता से उन्मुक्ति।
- प्रत्यर्पण तथा आश्रय।

**12.** राजनयिक तथा कासुंलीय प्रतिनिधि।

**13.** संधियाँ : निर्माण उपयोजन तथा पर्यवसान।

**14.** राज्य उत्तरदायित्व।

**15.** संयुक्त राष्ट्र उद्देश्य और सिद्धान्त, प्रमुख अंग, उनकी शक्तियाँ और कार्य।

**16.** अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे की रीतियाँ।

**17. बल का विधिपूर्ण अवलम्ब:** आक्रमण, आत्मरक्षा और हस्तक्षेप।

**18.** परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की वैधता, परमाणु और रासायनिक अस्त्रों के परीक्षण पर रोक, परमाणवीय अप्रसार सन्धि, सी0टी0एस0टी0।

**19.** अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, राज्य प्रवर्तित आतंकवाद, अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

**20. नव अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और मौद्रिक विधि:** विश्व व्यापार संगठन, टी0आर0आई0पी0एस0, गैट, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक

#### विधि: द्वितीय—प्रश्न—पत्र

(क) अपराध विधि — (अ) अपराध की संकल्पना, आवश्यक तत्व, अपराध की तैयारी एवं प्रयत्न (ब) भारतीय दण्ड संहिता।

- साधारण अपवाद,।
- संयुक्त एवं आन्वयिक दायित्व।
- दुष्प्रेरण।
- आपराधिक षडयन्त्र।
- राज्य के विरुद्ध अपराध।
- लोक शांति के विरुद्ध अपराध।
- मानव शरीर के विरुद्ध अपराध।
- संपत्ति के विरुद्ध अपराध।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराध।
- मानहानि।
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988।

#### (ख) अपकृत्य विधि—

- अपकृत्य—दायित्व की प्रकृति।
- दोष पर आधारित दायित्व एवं कठोर दायित्व।
- सांविधिक दायित्व।
- राज्य दायित्व सहित प्रतिनिहित दायित्व।
- सामान्य प्रतिरक्षा।
- संयुक्त अपकृत्य कर्ता।
- उपेक्षा।
- उपचार।
- मानहानि।
- उपताप (न्यूसेंस)।
- षडयन्त्र।
- मिथ्या कारावास तथा विद्वेषपूर्ण अभियोजन।

#### (ग) संविदा विधि एवं वाणिज्यिक विधि—

- संविदा का स्वरूप और निर्माण/ई—संविदा।
- मानक रूपसंविदा।
- सम्मति दूषित करने वाले कारक।
- शून्य, शून्यकरणीय, अवैध और अप्रवर्तनीय संविदायें।
- संविदाओं का अनुपालन।
- संविदात्मक दायित्व का उन्मोचन।
- संविदा नैराध्य।
- संविदा कल्प।
- संविदा भंग के विरुद्ध उपचार।
- क्षतिपूर्ति (इन्डेमिनीटी), गारंटी एवं बीमा संविदा।
- अभिकरण की संविदा।
- माल विक्रय तथा अवक्रय (हायर परचेज)।
- भागीदार का निर्माण, दायित्व तथा विघटन।
- परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881।

#### (घ) समकालीन विधिक विकास—

- जनहित याचिका की अवधारणा तथा पर्यावरण विधि।
- सूचना का अधिकार अधिनियम — 2005।
- वैकल्पिक विवाद समाधान—संकल्पना, प्रकार/संभावनाएं।
- प्रतियोगिता विधि के लक्ष्य, उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएं।
- अभिवचन सौदा।
- सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम—2000 के अन्तर्गत दीवानी दायित्व (धारायें 43 से 64) तथा आपराधिक दायित्व (धारायें 65 से 75)।

#### (14) पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान:

##### प्रथम प्रश्न—पत्र

##### (भाग—अ)

(अ) पशु पोषण : रोमन्थी एवं अरोमन्थी पशुओं में पाचन क्रिया, पोषक तत्वों की दुग्ध उत्पादन के लिये आवश्यकतायें, पोषक तत्व एवं उनके पशु शरीर में कार्य, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, खाद्य मानक, आहार के सिद्धान्त और संतुलित आहार की गणना, साईंलेज एवं 'हे' के रूप में चारों का संरक्षण, निम्न गुणवत्ता वाले चारों का उपचार, पाचन क्रिया में विकरों का कार्य, महत्व, खनिज पोषण: पशुओं के लिये खनिज का स्रोत, कार्य, कमी के लक्षण व आवश्यकताएं, बिटामिन: पशुओं के लिये इनका स्रोत, कार्य, कमी के लक्षण, आवश्यकताएं, न्यासर्गी (हारमोन्स): न्यासर्गी का उत्पादन एवं प्रजजन में कार्य, काब्रोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं लियेड्स (वसा) का उपापचयन, खाद्य योगिक एवं योगज क्षेत्र एवं कमी के लक्षण, आवश्यकताएं, प्रोबायोटिक एवं प्रोबायोटिक का डेरी पशुओं के कुकुकुट के पोषण में उपयोग। प्राकृतिक आपदा में पशुओं का खिलाना, पाचकता विशेषणांक, गोवंश बच्चों, ओसर, सांड, गायें, भैंस का खानपा, प्रसव के पहले एवं पश्चात गायों को खिलाना, विटामिन्स एवं खनिजों का आपसी सम्बन्ध, ऊर्जा एवं प्रोटीन के लिए खाद्य पदार्थों का मूल्यांकन। अंडा देने वाली मुर्गी एवं ब्रायलर की आवश्यकताएं एवं आहार की गणना।

(ब) पशु दैहिकी वातावरण सम्बन्धी : अनुकूलन एवं दशानुकूलन व इसका, वृद्धि कारक, वृद्धि के मापक,

Cont..





निकटभिगमन, विवाह के प्रकार—(एकविवाह, बहुविवाह), विवाह के प्रकार, विवाह के नियम (अधिमाम्य) और विवाह अदायगी (वधूधन, दहेज)

(4) परिवार, गृहस्थी एवं गृहसमूह: परिभाषा और सार्वभौमिकता, प्रकार्य और प्रकार (संरचना, रक्त सम्बन्ध, विवाह और उत्तराधिकार के संदर्भ में), नगरीकरण का प्रभाव।

(5) नातेदारी: रक्त सम्बन्धी एवं विवाह सम्बन्धी, वंश के प्रकार एवं नियम (एकीय, द्विपक्षीय, द्विरेखीय, उभयपक्षीय), वंश समूह के प्रकार (लीनियेज, गोत्र, फ़ैटरी, मॉइटी तथा किन्ड्रेड), नातेदारी शब्दावली (वर्णनात्मक और वर्गात्मक)।

11. आर्थिक संगठन: आर्थिक मानवविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और महत्व, औपचारिक तथा तालिका चर्चा, शिकार आखेटक तथा खाद्य—संग्रहक, मछली पकड़ने वाले, चारागाह, पौध बागवानी, तथा कृषि पर निर्भर रहने वाले समुदायों में उत्पादन, वितरण तथा विनियमन को नियंत्रित रखने वाले नियम (पारिस्परिकता, पुनर्वितरण तथा बाजार)

12. राजनैतिक संगठन: प्रकार—बैण्ड, जनजाति, अधिनायकवाद, राजशाही, राज्य, सत्ता, प्राधिकार एवं वैधता की अवधारणा, सामाजिक नियन्त्रण, सरल समाजों में कानून एवं न्याय।

13. धर्म: धर्म के अध्ययन में मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण (विकासवादी, मनोवैज्ञानिक तथा प्रकार्यवादी), एकईश्वरवाद, बहुदेवत्ववाद, मिथक एवं अनुष्ठान, जनजातीय एवं कृषक समाजों में जादुई— धार्मिक विश्वासों के रूप (आत्मावाद, जीववाद, वस्तुपूजावाद, प्रकृतिवाद एवं टोटमवाद), धर्म, जादू तथा विज्ञान में अन्तर, जादुई— धार्मिक क्रियाओं के निष्पादक (पुजारी, शामन, चिकित्सक, जादूगर व ओझा)

14. मानवशास्त्रीय सिद्धान्त: i शास्त्रीय उद्विकासवाद—मॉर्गन, टाइलर, फ्रेजर, ii— प्रसारवाद— ब्रिटिश, जर्मन, तथा अमेरिकन iii प्रकार्यवाद— मैलिनोवस्की, संरचनात्मक प्रकार्यवाद— रेडक्लिफ ब्राउन iv— संरचनावाद— लेवी स्ट्रॉस v— संस्कृति व व्यक्तित्व— बेनेडिक्ट, मीड, लिन्टन, कार्डिनर, कोरा—डु—बॉयज vi— नवउद्विकासवाद—चाइल्ड, व्हाइट, स्टुवर्ट vii सांस्कृतिक भौतिकतावाद— माविन हैरिस

15. (1) सांस्कृतिक मानवविज्ञान में अनुसन्धान पद्धति:— मानवविज्ञान में क्षेत्र— कार्य परम्परा, प्रविधि, पद्धति तथा पद्धतिशास्त्र में अन्तर, तथ्य संकलन के तरीके— परिवेक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, केसहिस्ट्री, केसस्टडी तथा वंशावली, सूचनाओं के द्वितीयक स्रोत।

(2) अन्तर्— सांस्कृतिक अध्ययन एवं नियन्त्रित तुलना।

### नू विज्ञान प्रश्न पत्र—II

1. भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उदय एवं विकास: प्रागैतिहासिक (पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण), आद्य ऐतिहासिक (सिन्धु सभ्यता)।

2. भारत का जनसांख्यिकीय रेखा चित्र: भारतीय जनसंख्या में नृजातीय तथा भाषायी तत्व और उनका वितरण।

3. पारम्परिक भारतीय समाज की संरचना एवं प्रकार्य: वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, कर्म, ऋण और पुनर्जन्म।

4. भारत में जाति व्यवस्था: संरचना एवं विशेषताएं: वर्ण एवं जाति, प्रभुजाति, जाति—गतिशीलता, जजमानी प्रथा, जनजाति—जाति निरन्तरता।

5. पवित्र संकुल, प्रकृति: मानव और जीवात्म संकुल।

6. भारतीय समाज (जनजातियों सहित) पर धर्मों का प्रभाव: बौद्ध, जैन, इस्लाम तथा ईसाइयत।

7. भारत में मानव विज्ञान का उदय एवं विकास: आरम्भिक विद्वान—प्रशासकों का योगदान। जनजाति—जाति अध्ययनों में मानव शास्त्रियों का योगदान।

8. भारतीय ग्राम के पक्ष: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक। बस्ती एवं अन्तर्जातीय परिवर्तन के प्रतिमान। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, और आधुनिकीकरण। पंचायती राज एवं सामाजिक परिवर्तन।

9. 1. भारत में जनजातियों की अवस्थिति: जनजातीय जनसंख्या की भाषाई और सामाजिक—आर्थिकी विशेषताएं और उनकी जैव—आनुवंशिकी भिन्नताएं।

2. जनजातियों की समस्याएं: भूमि—हस्तांतरण, निर्धनता, निम्न साक्षरता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और पोषण।

3. विकास सम्बन्धी परियोजनाएं: जनजातियों का विस्थापन तथा उनके पुनर्वास सम्बन्धी समस्याएं। नवीन वननीति और जनजातियों। जनजातीय जनसंख्या पर नगरीकरण तथा औद्योगिकीकरण का प्रभाव।

10. 1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के शोषण तथा वंचन की समस्याएं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु संवैधानिक सुरक्षा।

2. सामाजिक परिवर्तन तथा समकालीन जनजातीय समाज: आधुनिक प्रजातांत्रिक संस्थाओं का प्रभाव तथा कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम। महिलाओं की सहभागिता।

3. नृजातीय भावना की संकल्पना: जनजातियों में असंतोष तथा जनजातीय आन्दोलन। कृत्रिम जनजातियता। उपनिवेशवाद के दौरान तथा स्वाधीनतोरान्त जनजातियों में सामाजिक परिवर्तन।

11. जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय नीतियों, योजनाएं तथा विकास कार्यक्रम और उनके क्रियान्वयन के प्रशासन का इतिहास। संवेदनशील जनजातीय समूह।

12. जनजातीय विकास में एन0जी0ओ0 की भूमिका।

13. जनजातीय और ग्रामीण विकास में मानव शास्त्रियों की भूमिका।

## 20. सिविल अभियांत्रिकी (CIVIL ENGINEERING)

### PAPER-I

#### PART-A

(a) Theory of Structures: Simple stress and strain, Elastic constants, Axially loaded compression members, Shear force and bending moment, Theory of simple bending, Shear stress distributions across sections, Beams of uniform strength.

Deflection of beams: Mecaulay's method, Mohr's moment area method, Conjugate beam method, Unit load method, Elastic stability of columns,

Castigliano's theorems I and II, unit load method of consistent deformation applied to beams and pin jointed trusses. Slope-deflection and moment distribution methods.

Rolling loads and influences lines: Influence lines for shear Force and Bending moment at a section of a beam. Criteria for maximum shear force and bending moment in beams traversed by a system of moving loads. Influences lines for simply supported plane pin jointed trusses.

Arches: Three hinged, two hinged and fixed arches, rib shortening and temperature effects.

Matrix methods of analysis: Force method and displacement method of analysis of indeterminate beams and rigid frames.

Plastic-analysis of beams and frames: Theory of plastic bending, Plastic analysis statical method, Mechanism method.

Unsymmetrical bending: Moment of inertia, position of Neutral axis and Principal axes, Calculation of bending stresses.

(b) Design of Concrete structures: Concept of mix design. Reinforced concrete: Working stress and limit state method of design. Recommendation of B.I.S. Codes. Design of one-way and two-way slabs, stair-case, slabs, simple and continuous beams of rectangular, T and L sections. Compression members under direct load with or without eccentricity.

Cantilever and Counter-fort type retaining walls.

Water Tanks: Design requirements for rectangular and circular tanks resting on ground.

Prestressed Concrete: Methods and systems of prestressing, anchorages, Analysis and design of sections for flexure based on working stress, loss of prestress. Earthquake Resistant Design of Buildings as per BIS codes.

Introduction to computer aided design of structure

(c) Steel Structural: Factors of safety and load factors. Riveted, bolted and welded joints and connections. Design of tension and compression members, beams of built up section, riveted and welded plate girders, gantry girders, stanchions with battens and lacings.

### PART-B

(a) Fluid Mechanics: Fluid properties, types of fluids and their role in fluid motion.

Kinematics and dynamics of fluids flow: velocity and acceleration, stream lines, equation of continuity, irrotational and rotational flow, velocity potential and stream functions.

Continuity, momentum, energy equations Navier Stokes equation, Euler's equation of motion Bernoulli's equation. Applications to fluid flow problems e.g. pipe flow, sluice gates, weirs, etc.

Laminar Flow: Laminar and turbulent boundary layer on a flat plate, laminar sub-layer, smooth and rough boundaries, submerged flow, drag and lift forces.

Turbulent flow through pipes: Characteristics of turbulent flow, velocity distribution and variation of pipe friction factor, Hydraulic grade line and total energy line.

(b) Hydraulics: Uniform and non-uniform flows, momentum and energy correction factors, specific energy and specific force, critical depth, gradually varied flow, classification of surface profiles, control section, step method of integration of varied flow equations, rapidly varied flow, hydraulic jump. Surges.

Hydraulic Machines and Hydropower: Hydraulic turbines and their classification, choice of turbines, performance parameters, controls, Characteristics, specific speed, Principles of hydropower development.

(c) Geotechnical Engineering: Soil types and structure, gradation and particle size distribution, Atterberg's limits.

Flow through porous media: Effective stress and pore water Pressure, permeability concept, field and laboratory determination of permeability, Seepage pressure, quick sand condition.

Compaction of soil: Laboratory and field tests. Compressibility and consolidation theory, consolidation settlement analysis. Shear strength determination Mohr coulomb theory.

Stress distribution in soils Boussinesque and Westergaard's analysis, Earth pressure theory and analysis for retaining walls, application for sheet piles and Braced excavation.

Bearing capacity of soil: Approaches for analysis, fields tests, settlement analysis, stability of slopes.

Foundation: Type and selection criteria for foundation of structures, Design criteria for foundation, Analysis of distribution of stress for footings and pile, pile group action, pile load tests.

Subsurface exploration of soils, Ground improvement and soil stabilisation techniques.

## सिविल अभियांत्रिकी (CIVIL ENGINEERING)

### PAPER-II

#### PART-A

(a) Construction Technology, Planning and Management:

Building Materials: Physical Properties of construction materials with respect to their use, Stones, Bricks, Tiles, Lime, Cement, Mortars, Concrete,

Timber: Properties, defects and common preservation treatments, Ferro cement, fibre reinforced cement High strength concrete.

Use and selection of materials for various uses e.g. Low cost housing, mass housing, High rise buildings.

Building Constructions: Masonry Constructions using Brick, stone construction detailing and strength characteristics.

Paints, varnishes, plastics, water proofing and damp proofing materials, Detailing of walls, floors, roofs staircases doors and windows. Plastering, pointing, flooring, roofing and construction features. Common repairs in buildings.

Principle of planning of buildings for residents and specific use, Building code provisions and use.

Basic principles of detailed and Approximate estimating, specifications, rate analysis, principles of valuation of real property. Machinery for earthwork, concreting and their specific uses, Factors affecting selection of construction equipments, operating cost of equipments.

Construction activity, schedules, organizations, Quality assurance principles. Basic principle of network, CPM and PERT uses in construction monitoring, Cost optimization and resource allocation. Basic principles of Economic analysis and methods.

Project Profitability: Basic principles of financial planning, simple toll fixation criterions.

(b) Surveying: Common methods and instruments for distance and angle measurement for Civil Engg. works, their use in plane table, traverse survey, leveling, triangulation, contouring and topographical maps. Basic principles of photogrammetry and remote sensing. Introduction to Geographical information system.

(c) Highway Engineering: Principles of Highway alignments, classification and geometrical design, elements and standards for roads.

Pavement structure for flexible and rigid pavements, Design principles and methodology. Construction methods and materials for stabilized soil, WBM, Bituminous works and CC roads.

Surface and sub-surface drainage arrangements for roads, culvert structures.

Pavement distresses and strengthening by overlays.

Traffic surveys and their application in traffic planning, Typical design features for channelized, intersection rotary etc., signal designs, standard traffic signs and markings.

(d) Railway Engineering: Permanent way, ballast, sleeper, chair and fastenings, points crossings, different types of turn outs, cross-over, setting out of points, Maintenances of track, super elevation, creep of rails, ruling gradients, track resistance, tractive effort, curve resistance, Station yards and station, station buildings, platform sidings turn outs,



Signals and interlocking, Level Crossings.

**PART- B**

**(a) Water Resources Engineering:**

Hydrology: Hydrologic cycle, precipitation, evaporation, transpiration, infiltration, overland flow, hydrograph, flood frequency analysis, flood routing through a reservoir, channel flow routing- Muskingam method.

Ground Water flow: Specific yield, storage coefficient, coefficient of permeability, confined and unconfined aquifers, radial flow into a well under confined and unconfined conditions. Open wells and Tubewells.

Ground and surface water resources, single and multipurpose projects, storage capacity of reservoirs, reservoir losses, reservoir sedimentation.

Water requirements of crops, consumptive use, duty and delta, irrigation methods and their efficiencies.

Canals: Distribution systems for canal irrigation, canal capacity, canal losses, alignment of main and distributory canals, most efficient section, lined canals and their design, regime theory, critical shear stress, bed load.

Water logging: causes and control, salinity.

Canal structures: Design of head regulators, canal falls, aqueducts, metering flumes and canal outlets.

Diversion head work: Principles and design of weirs on permeable and impermeable foundation, Khosla's theory.

Storage works: Types of dams, design, principle of gravity and earth dams, stability analysis.

Spillways: Spillway types, energy dissipation.

River training: Objectives of river training, methods of river training and bank protection.

**(b) Environmental Engineering:**

Water Supply: predicting demand for water, impurities of water and their significance, physical, chemical and bacteriological analysis, waterborne diseases, standards for potable water.

Intake of Water: Water treatments: principles of coagulation, flocculation and sedimentation, slow, rapid and pressure filters, chlorination, softening, removal of tests, odour and salinity.

Sewerage Systems: Domestic and industrial wastes, storm sewage, separate and combined systems, flow through sewers, design of sewers.

Sewage Characterisation: BOD, COD, solids, dissolved oxygen, nitrogen and TOC. Standards of disposal in normal water course and on land.

Sewage Treatment: Working principle, units, chambers, sedimentation tank, trickling filters, oxidation ponds, activated sludge process, septic tank, disposal of sludge, recycling of waste water.

Solid waste management: Collection and disposal in rural and urban contexts, management of solid waste.

Environmental pollution: Sustainable development, Radioactive wastes and disposal. Environmental impact assessment for thermal power plants, mines, river valley projects.

Air and water pollution control acts.

**21. (यांत्रिक अभियांत्रिकी) MECHANICAL ENGINEERING: PAPER-I**

**(PART-A)**

1. **Theory of Mechanisms:** Kinematic and dynamic analysis of planar mechanisms, belt and chain drives, gears and gear train, cams, flywheel and governors. Balancing of rotating and reciprocating masses, single and multi cylinder Engines.

2. **Mechanical Vibrations:** Vibrating systems, single degree freedom systems, natural frequency, damped and forced vibrations, resonance, force transmissibility, two degree of freedom systems, vibration absorbers, whirling of shafts and critical speeds.

3. **Mechanics of Solids:** Stress and strain, elastic constants, uniaxial loading, thermal stress, two dimensional stress analysis, principal stresses, generalised Hook's law, total and distortion strain energy, theories of failures, bending and shear stresses in beams, Torsion of shafts, Close coiled Helical springs, Thin and thick pressure vessels, rotating discs, Buckling of columns.

4. **Engineering Materials:** Basic concept of structure of solids, crystalline materials, crystal defects, alloys and binary phase diagrams, structures and properties of common engineering materials. Basics of polymers, ceramics and composite materials; Iron-Carbon equilibrium diagram, heat treatment of steels.

**(PART-B)**

5. **Manufacturing Science:** Machine tool Engineering, Merchant's force analysis, Taylor's tool life equation, conventional machining, NC and CNC machining Processes, jigs and fixtures, standard forming and welding processes.

6. **Non Conventional Machining Processes:** EDM, ECM, Ultrasonic machining, water jet machining etc, application of lasers and plasmas, energy rate calculations. Metrology: concept of fits and tolerances, tools and gauges, comparators, inspection of length, position, profile and surface finish.

7. **Manufacturing Management:** Product development, value analysis, Break-even analysis, forecasting techniques, Operation Scheduling, Capacity Planning, Assembly line balancing, CPM and PERT, Inventory control, ABC Analysis, EOQ model, material requirement planning, job design, job standards, method study and work measurements.

8. **Quality Management:** Quality analysis, control charts, acceptance, sampling, total quality management, Operations research, linear programming, graphical and simplex methods, Transportation and assignment models, single Serve queueing model, Value Engineering.

**(यांत्रिक अभियांत्रिकी) MECHANICAL ENGINEERING: PAPER-II**

**(PART-A)**

1. **Thermodynamics:** Laws of thermodynamics and their applications; T-ds equations, Maxwell and Clapeyron equation and their uses; Availability and irreversibility.

2. **Fluid Mechanics:** Properties and classification of fluids, Manometry, forces on immersed surfaces, stability of floating bodies, Kinematics and dynamics of incompressible fluids. Laminar and turbulent boundary layer flows. Bernoulli's equation, fully developed flow through pipes.

3. **Heat Transfer:** Modes of heat transfer, One dimensional steady and unsteady conduction. Heat transfer through extended surfaces. Free and forced convective heat transfer, Empirical correlations in laminar and turbulent flows, Heat Exchangers, Radiation heat transfer laws, shape factor, heat exchange between black and gray surfaces.

4. **Refrigeration and Air Conditioning:** Vapour compression, vapour absorption, steam

jet and air refrigeration systems, Desirable properties of refrigerants, eco- friendly refrigerants, Analysis of compressors, condensers, expansion valves and evaporators.

**(PART- B)**

5. **I.C Engines:** Classification, Thermodynamic cycles of operation, Performance Calculations, Heat balance sheet, Combustion in S.I and C.I Engines, normal and abnormal combustion, knocking and detonation. Effect of variables on knocking and detonation, Fuels used in S.I and C.I Engines, Fuel injection, carburetion and multi point fuels injection (MPFI) Supercharging, Engine cooling, Emission and Control, Turboprop and Rocket Engines.

6. **Steam Engineering:** Modern steam Generators, Rankine cycle, Modified Rankine cycle and analysis, Natural and artificial draught, flow of steam in convergent and divergent nozzles, pressure at throat for maximum discharge, super saturated flow in nozzles, Wilson line.

7. **Turbomachines:** Classification, Continuity, momentum and energy equations, Flow analysis in axial and centrifugal compressors and turbines, Dimensional analysis and modelling. Performance of Pumps, Compressors and turbines.

8. **Power Plant Engineering:** Site selection for Steam, Hydro Nuclear and Gas Power Plants, dust removal equipments, fuel handling and cooling water system. Thermodynamic analysis of steam and gas turbine power plants, governing of turbines. Solar, Wind and Nuclear Power Plants, Economic power generation.

**22. (विद्युत अभियांत्रिकी) ELECTRICAL ENGINEERING:**

**PAPER-I**

(i) **E.M. Theory:** Analysis of Electrostatic and magnetostatic Fields, Laplace, Poisson & Maxwell's equation. Electromagnetic wave equations. Poynting's Theorem. Waves on transmission lines. Wave-guides. Microwave resonators.

(ii) **Networks & Systems:** Systems and signals, Network Theorems and their applications. Transient and steady-state analysis of systems. Transform techniques and circuit analysis, Coupled circuits. Resonant circuits, Balanced three-phase circuits. Network functions. Two-port network. Network parameters. Elements of network synthesis. Elementary active networks.

(iii) **Electrical & Electronic Measurement & Instrumentation:** Basic methods of Measurement. Error analysis, Electrical Standards. Measurement of voltage, current, power, energy, power-factor, resistance, inductance, capacitance, frequency and loss-angles. Indicating instruments. DC and AC Bridges, Electronic measuring instruments. Multi-meter, digital voltmeter, frequency counter, Q-meter, oscilloscope, techniques, special purpose CRO's. Transducers and their classifications. Thermo-couple, thermistor, RTD, LVDT, strain-gauges. Piezo-electric transducers etc., Application of transducers in the measurement of non-electrical quantities like pressure, temperature, displacement, velocity acceleration, flow-rate etc.; Data-acquisition systems.

(iv) **Analog & Digital Electronics:** semiconductor diodes & zener-diode, Bi-polar junction transistor and their parameters. Transistor biasing, analysis of all types of amplifiers including feedback and D.C. amplifiers; Operational amplifiers and their application; Feedback oscillators: Colpitts and Hartley types, waveform generators; Multi-vibrators; Boolean algebra. Logic gates Combinational and sequential digital circuits. Semiconductor memories. A/D & D/A converters; Microprocessor. Number system and codes, elements of microprocessors & their important applications.

(v) **Electrical Machines:** D.C. Machines: commutation and armature reaction, characteristics and performance of motors and generators; Applications, starting and speed control. Synchronous generators: Armature reaction, voltage regulation, parallel operation. Single- and Three-phase Induction motors: Principle of operation, performance characteristics, starting, speed control. Synchronous Motors: Principle of operation, performance analysis, Hunting, Synchronous condenser. Transformers: Construction, phasor diagram, equivalent circuit, voltage regulation, Performance, Auto-transformers, instrument transformers. Three-phase transformers.

(vi) **Material Science:** Theory of Semiconductors, Conductors and insulators. Superconductivity. Various insulators used for Electrical and Electronic applications. Different magnetic materials, properties and applications. Hall Effect.

**(विद्युत अभियांत्रिकी) ELECTRICAL ENGINEERING:**

**PAPER-II: (SECTION-A)**

1. **Control Engineering:** Mathematical Modeling of physical dynamic systems. Block diagram and signal flowgraph. Transfer function. Time-response and frequency-response of linear systems. Error evaluation, Bode Plot, Polar Plot and Nichol's chart, Gain Margin and Phase Margin, Stability of linear feedback control systems. Routh-Hurwitz and Nyquist criteria. Root locus technique. Design of compensators. State variable methods in system modeling, analysis and design. Controllability and Observability and their testing methods. Pole placement, design using state variables feedback. Control system components (Potentiometers, Tachometers, Synchros & Servomotors).

2. **Industrial Electronics:** Various power semiconductor devices. Thyristor & its protection and series-parallel operation. Single-phase and poly-phase uncontrolled rectifiers. Smoothing filters, D.C. regulated power supplies. Controlled converters and inverters, choppers. Cyclo-converters, A.C. voltage regulators. Application to variable speed drives. Induction and Dielectric heating.

**SECTION-B: (HEAVY CURRENT)**

(3) **Electrical Machines: (i)** Fundamentals of Electro-Mechanical energy conversion. Analysis of Electro-Magnetic torque and induced voltages. The general torque equation.

(ii). Three- Phase Induction motors: Concept of revolving field. Induction motor as transformer. Phasor diagram and equivalent circuit. Performance evaluation. Correlation of induction motor operation with basic torque relations. Torque-speed characteristics. Circle diagram, starting and speed-control methods. (iii). Synchronous Machines: Generation of e.m.f.; Equivalent circuit, Experimental determination of leakage and synchronous reactances. Theory of salient-pole machines. Power equation. Parallel operation. Transient and sub-transient reactances and time constants. Synchronous motor. Phasor diagram and equivalent circuit. Performance, V-curves. Power factor control, hunting. (iv). Special Machines: Two-phase A.C. servomotors.-Equivalent circuit and performance; Stepper motors. Methods of operation, Drive amplifiers. Half stepping. Reluctance type stepper motor, Principles and working of universal motor. Single-phase A.C. compensated series motor.

(4) **Electric Drives:** Fundamentals of electric drive, Rating estimation. Electric braking.

Cont..

Electro-mechanical transients during starting and braking, time and energy calculations. Load equalization. Solid-State control of D.C., Three-phase Induction and Synchronous motors. Applications of electric motors.

(5) **Electric Traction:** Various Systems of track electrification and their comparison. Mechanics of train movement. Estimation of tractive effort and energy requirement. Electrification and their comparison, Traction motors and their characteristics.

(6) **Power System and Protection:** (a). Types of Power Station. Selection of site. General layout of Thermal, Hydro and Nuclear Stations. Economics of different types. Base load and peak load of stations. Pumped-storage Plants. (b). Transmission and Distribution: A.C. and D.C. Transmission systems. Transmission line parameters and calculations. Performance of Short, Medium and Long transmission lines, A-, B-, C-, D-parameters. Insulators. Mechanical design of overhead transmission lines and Sag calculation, Corona and its effects, Radio interference. EHVAC and HVDC transmission lines, underground cables. Per unit representation of power system. Symmetrical and unsymmetrical fault analysis. Symmetrical components and their application to fault analysis. Load flow analysis using Gauss-Seidel and Newton-Raphson methods. Fast de-coupled load flow. Steady-state and transient stability. Equal area criterion, Economic operation of power system, incremental fuel costs and fuel rate. Penalty factors. ALFC and AVR control for real-time operation of inter-connected power system. (c). Protection: Principle of arc extinction, Classification of circuit breakers. Restriking phenomenon. Calculation of restriking and recovery voltages. Interruption of small inductive and capacitive currents Testing of Circuit Breakers. (d). Relaying Principles: Primary and back-Up relaying, over-current, differential, impedance, and direction relaying principles. Constructional details. Protection schemes for transmission line, transformer, generator, and bus protection. Current and potential transformer and their applications in relaying. Traveling waves. Protection against surges, Surge impedance.

(OR)

**SECTION-C (Light Current)**

(7) **Communication System:** Amplitude, Frequency and Phase modulation and their comparison, Generation and detection of amplitude, frequency, phase and pulse modulated signals. Modulators and demodulators, Noise problems, Channel efficiency. Sampling theorem. Sound and vision broadcast, transmitting and receiving systems. Antennas and feeders. Transmission lines at Audio, Radio and ultra-high frequencies. Fiber-optics and optical communication systems. Digital communications, pulse code modulation. Data communication, satellite communication. Computer communication system- LAN, ISDN etc. Electronic Exchanges. (a) Microwaves: Electromagnetic waves, unguided media, wave guides. Cavity resonators and Microwave tubes, Magnetrons, Klystrons and TVVT. Solid-State microwave devices. Microwave amplifiers. Microwave receivers. Microwave filters and measurements. Microwave antennas.

**(23) English Literature Paper-I**

Answers must be written in English.

**Section-A**

Candidates will be required to show adequate knowledge of the following topics and movements:

The Renaissance: Elizabethan and Jacobean Drama; Metaphysical Poetry; The Epic and the Mock-epic; Neo-classicism; Satire; The Romantic Movement; The Rise of the Novel; The Victorian Age.

**Section-B**

Texts for detailed study are listed below:

1. William Shakespeare: Twelfth Night, King Henry IV, Pt I, Macbeth and the Tempest.
2. John Donne. The following poems: "Canonization", "Death be not proud", "The Good Morrow" and "The Relic".
3. John Milton: Paradise Lost, Book-I
4. John Dryden: All for Love
5. Alexander Pope: The Rape of the Lock
6. William Wordsworth. The following poems: "Tintern Abbey", "Three Years She Grew", "Michael" and "Milton, Thou Shouldst be Living at This Hour"
7. P B Shelley: "To a Skylark" and "Ode to the West Wind"
8. Alfred Tennyson: "Ulysses" and "Lotos Eaters"
9. Robert Browning: "My Last Duchess" and "The Lost Leader"
10. Francis Bacon: "Of Studies" and "Of Truth"
11. Charles Lamb: "Dream Children" and "Poor Relations"

**Section-C**

Text for non-detailed study are listed below:

1. Jane Austen. Pride and Prejudice.
2. Charles Dickens. Great Expectations.
3. Thomas Hardy: Far from the Madding Crowd
4. Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn.

**Subject: English Literature Paper-II**

Answers must be written in English.

**Section-A**

Candidates will be required to show adequate knowledge of the following topics and movements:

Pre-Raphaelite Movement, Modernism; Poets of the Thirties; The stream-of-consciousness Novel; Absurd Drama; Colonialism and Post-Colonialism; Indian Writing in English; Feminist approaches to Literature.

**Section-B**

Texts for detailed study are listed below:

1. William Butler Yeats. The following poems: "The Second Coming", "Sailing to Byzantium", "A Prayer for my Daughter", "Meru" and "Lapis Lazuli"
2. T.S. Eliot, The following poems: "The Love Song of J. Alfred Prufrock" and "Journey of the Magi"
3. W.H. Auden. The following Poems: "The Unknown Citizen" and "In Memory of W.B. Yeats"
4. Philip Larkin. The Following poems: "Afternoons" and "Deceptions"
5. Sylvia Plath. The following poems: "Mirror" and "Daddy"
6. Derek Walcott. The Following Poems: "A Far Cry from Africa" and "Sea Grapes"
7. Nissim Ezekiel. The following poems "Background, Casually", "Night of the Scorpion"

8. A.K. Ramanujan. The following poems: "Looking for a Cousin on a Swing", "On The Death of a Poem"

9. John Osborne: Look Back in Anger.

10. Eugene O'Neill: Desire Under the Elms

11. Girish Karnad: Hayavadana

12. Thomas Carlyle: "Hero as a Poet"

13. John Ruskin: "The Veins of Wealth" (Essay II from Unto This Last)

**Section-C**

Texts for non-detailed study are listed below:

1. Graham Greene: The Power and the Glory
2. William Golding: Lord of the Flies
3. Raja Rao: Kanthapura.
4. Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter

**(24) उर्दू साहित्य: प्रथम प्रश्न- पत्र (भाग-अ)**

1-(अ) उर्दू भाषा का विकास : (अ) पश्चिमी हिन्दी और उसकी उप भाषायें - खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। (ब) उर्दू भाषा में फारसी -अरबी तत्व, (स) उर्दू भाषा सन् 1600 ई से 1900 ई तक (द) उर्दू भाषा का उद्भव- विभिन्न विचारधारायें।

2-(अ) दकन में उर्दू साहित्य का विकास (ब) उर्दू शायरी के दो क्लासिकी स्कूल: देहली और लखनऊ (स) उर्दू गद्य का विकास - गालिब तक।

3-(अ) अलीगढ़ तहरीक, प्रगतिशील आन्दोलन तथा इनका उर्दू साहित्य पर प्रभाव (ब) स्वतंत्रयत्न का उर्दू साहित्य।

**(भाग-ब)**

1. उर्दू शायरी की प्रमुख विधायें - गजल, कसीदा, मर्सिया, मसनवी, रुबाई, कता नज्म, अतुकान्त कविता एवं मुक्त छन्द कविता। 2 उर्दू गद्य की प्रमुख विधायें - दास्तान, उपन्यास, लघु कथा, नाट्य साहित्य, साहित्य समीक्षा, जीवन चरित्र, निबन्ध, खाका, इंशाईया। 3 स्वतंत्रता आन्दोलन में उर्दू साहित्य का योगदान।

**उर्दू साहित्य: द्वितीय प्रश्न- पत्र**

इस प्रश्न -पत्र में मूल पाठ का अध्ययन अपेक्षित होगा। इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे परीक्षार्थी की आलोचनात्मक क्षमता का आंकलन किया जा सके।

**(भाग-अ)**

- (गद्य) - 1 मीर अम्नन: बागो बहार, 2 गालिब: इंतेखाब - ए- खुतूते गालिब, सम्पादक -उ0प्र0 उर्दू अकाडमी, 3. हाली: मुकदमा-ए-शेरो शायरी 4. रूसवा: उमरावजान अदा 5. प्रेमचन्द्र: प्रेमचन्द्र के नुमाइन्दा अफसाने, सम्पादक- कमर रईस 6. अबुल कलाम अजाद: गुबार - ए- खातिर, 7. इम्तियाज अली ताज- अनारकली 8. कुर्रतुलऐन हैदर: आखिर - ए- शब के हमसफर।

**(भाग-ब)**

- (19. मीर: इंतेखाब -ए-कलाम-ए-मीर, सम्पादक -अब्दुल हक 10 सौदा: कसाईद- ए- सौदा हज्वीयात सहित -इन्तेखाब -ए- कंसायद: उ0प्र0 उर्दू अकादमी लखनऊ, 11 गालिब: दीवान -ए- गालिब, 12. इकबाल: कुल्लियात-ए- इकबाल (केवल बाल -ए- जिब्राइल) 13. जोश मलीहाबादी: सैफ-ओ-सुबू 14. फिराक गोरखपुरी : गुल -ए-नगमा 15. फ़ैज: दस्त-ए-सबा, 16 अख्तर -उल- ईमान: (केवल दो नज्में: तारीक सय्यारा, बिनत-ए-लम्हात)।

**(25) हिन्दी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र**

भाग-1 हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि का इतिहास- 1. पालि, प्राकृत एवं अपभ्रंश तथा पुरानी हिन्दी का संक्षिप्त परिचय। 2. मध्यकाल में ब्रज और अवधी का काव्य भाषा के रूप में विकास। 3. खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। 4. राजभाषा, सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा एवं मानक भाषा के रूप में हिन्दी। 5. वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी भाषा की स्थिति। 6. हिन्दी भाषा का क्षेत्र और अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, बुन्देली का क्षेत्र एवं भाषिक विशेषताएं। 7. मानक हिन्दी का व्याकरणिक स्वरूप। 8. नागरी लिपि का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, समस्यायें और समाधान। 9. हिन्दी शब्द - सम्पदा।

**(भाग-2 हिन्दी साहित्य का इतिहास)**

1. हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की परम्परा। 2. हिन्दी साहित्य के इतिहास में काल- विभाजन तथा नामकरण। 3. आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। 4. आधुनिक काल: पुनर्जागरण और भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता एवं परवर्ती काव्यधारायें।

(क) हिन्दी उपन्यास, हिन्दी कहानी, हिन्दी नाटक एवं रंगमंच: उद्भव -विकास एवं इनकी अधुनातन प्रवृत्तियां (ख) हिन्दी निबन्ध तथा अन्य गद्य विधायें: जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण यात्रा वृत्तान्त। (ग) हिन्दी आलोचना का प्रारम्भ और विकास। प्रमुख आलोचक : रामचंद्र शुक्ल, नन्ददुलारे बाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेन्द्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी।

**हिन्दी साहित्य: द्वितीय प्रश्न पत्र,**

**(भाग- प्रथम)**

इस प्रश्न-पत्र में निर्धारित रचनाओं में से व्याख्या एवं उन पर आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जायेंगे। कबीर ग्रन्थावली, सम्पादक -श्याम सुन्दर दास, साखी संख्या 1 से 100 तक और पद संख्या 1 से 20 तक।

सूरदास (भ्रमरगीत सार) सम्पादक-रामचन्द्र शुक्ल, पद संख्या 51 से 100 (कुल 50 पद)

तुलसीदास- रामचरितमानस उत्तरकाण्ड- (दोहा संख्या- 75 से अन्त तक)। जायसी (पदमावत),

सम्पादक - रामचन्द्र शुक्ल (सिंहलदीप खण्ड और नागमती वियोग खण्ड), बिहारी संग्रह (प्रारम्भ से 100 दोहे तक) हिन्दी परिषद प्रकाशन, इलाहाबाद।

जयशंकर प्रसाद - कामायनी - (श्रद्धा और इड़ा सर्ग) सुमित्रानन्दन पन्त- नौका बिहार, परिवर्तन, निराला - राम की शक्ति पूजा, अज्ञेय - असाध्यवीणा, मुक्ति बोध- अन्धेरे में, नागार्जुन-बादल को घिरते देखा है, अकाल के बाद।

**(भाग द्वितीय)**

नाटक- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र - अन्धेरे नगरी, जयशंकर प्रसाद-स्कन्द गुप्त,

निबन्ध- रामचन्द्र शुक्ल, चिन्तामणि भाग-एक (कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति)। हजारी प्रसाद द्विवेदी -कुटुज (निबन्ध)

उपन्यास- प्रेमचन्द्र-गोदान, फणीश्वरनाथ रेणु- मैला आंचल।

हिन्दी की कहानियां- 1- प्रेमचन्द्र- मों, 2- जयशंकर प्रसाद- आकाशदीप, 3-अज्ञेय-रोज,

4- राजेन्द्र यादव- जहां लक्ष्मी कैद है, 5- उषा प्रियम्बदा-वापसी।

**(26) संस्कृत-साहित्य: प्रथम प्रश्नपत्र**

खण्ड-क- भाषा विज्ञान- भाषा का उद्भव और विकास, भाषाओं का वर्गीकरण, भारोपीय एवं मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएं, अर्थपरिवर्तन की दिशाएं तथा कारण, ध्वनिनियम, ध्वनिपरिवर्तन के कारण, संस्कृत -ध्वनियों के विशेष सन्दर्भ में मानवीय वाग्यन्त्र, संस्कृत-ध्वनियों के उच्चारण - स्थान एवं प्रयत्न, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत की तुलना।

खण्ड-ख- संस्कृत व्याकरण- सन्धि, समास, कृदन्त, तद्धित, स्त्रीप्रत्यय एवं कारक (लघुसिद्धान्तकौमुदी से)।

खण्ड-ग- भारतीय दर्शन- निम्नलिखित पाठ्यग्रन्थों के आधार पर भारतीय दर्शन का सामान्य अध्ययन- तर्कभाषा -केशव मिश्र (अनुमानपर्यन्त), सांख्यकारिका -ईश्वरकृष्ण, वेदान्तसार-सदानन्द, कठोपनिषद्-प्रथम अध्याय- द्वितीया वल्ली, श्रीमद्भगवद्गीता-द्वितीय अध्याय।

खण्ड-घ- संस्कृत-काव्यशास्त्र- (क) आनन्दवर्धनकृत ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत के आधार पर ध्वनि और उसके भेदों का सामान्य अध्ययन (ख) मम्मटकृत काव्यप्रकाश से निम्नलिखित विषय: काव्यप्रयोजन,

काव्यलक्षण, काव्यहेतु, काव्यभेद, शब्दशक्तियाँ, रससिद्धान्त, गुण तथा अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपह्नुति, अतिशयोक्ति व्यतिरेक, अर्थान्तरन्यास, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा, दृष्टान्त, दीपक एवं परिसंख्या अलंकार।

**खण्ड-ड.- संस्कृत में निबन्ध-** संस्कृत में निबन्ध 250 शब्दों से कम का नहीं होना चाहिए।

#### **संस्कृत-साहित्य : द्वितीय प्रश्नपत्र**

**खण्ड क- गद्य एवं पद्य-** निम्नलिखित ग्रन्थों का अध्ययन: 1 कादम्बरी (शुकनासोपदेश), 2. शिवराजविजयम् (प्रथम निःश्वास) 3 नलचम्पू (प्रथम उच्छ्वास) 4 मेघदूतम् (पूर्वमेघ), 5 किरातार्जुनीयम् (प्रथम सर्ग) 6. नीतिशतकम्। (25 अंको के एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना होगा)।

**खण्ड-ख-नाट्यसाहित्य-**नाट्य-साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं की पाठ्यसामग्री का अध्ययन: 1. अभिज्ञानशाकुन्तलम् (चतुर्थ अंक) 2. उत्तररामचरितम् (तृतीय अंक), 3. प्रतिमानाटकम् (प्रथम एवं द्वितीय अंक), 4. मृच्छकटिकम् (प्रथम अंक)।

**खण्ड-ग- पारिभाषिक शब्द-** संस्कृत के निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान: महाकाव्य, खण्डकाव्य, कथा, आख्यायिका, चम्पू, प्रस्तावना, विष्कम्भक, प्रवेशक, सूत्रधार, वस्तुभेद, नायकभेद, विदूषक, पताकास्थानक, अर्थप्रकृतियों, कार्यावस्थाएं, पंचसन्धियाँ, नियतश्राव्य, स्वगत, जनान्तिक, आकाशभाषित, नेपथ्य, नाटक, प्रकरण एवं नाटिका।

**खण्ड-घ-** संस्कृत साहित्य का इतिहास- वेद एवं वेदांगों का सामान्य परिचय, निम्नलिखित साहित्यिक विधाओं का उद्भव, विकास और उनकी विशेषताएं: आर्षमहाकाव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य, गीतिकाव्य, नाटक एवं कथा- साहित्य।

**टिप्पणी:** (इस खण्ड में 25 अंको का एक प्रश्न विशिष्ट रचना/ रचनाकार के विषय में टिप्पणी के रूप में प्रष्टव्य होगा)।

**खण्ड ड-** हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद।

#### **(27) वाणिज्य एवं लेखांकन**

##### **प्रथम प्रश्नपत्र**

##### **(लेखांकन एवं वित्तीय प्रबन्ध)**

##### **भाग-1: लेखांकन**

1. लेखांकन की प्रकृति, अवधारणाएं एवं शाखाएं, वित्तीय लागत एवं प्रबन्धकीय लेखांकन से सम्बन्ध, लेखांकन के लाभ एवं परिसीमाएं, लेखांकन व्यवहार प्रकटीकरण (ए0एस0-1)
2. अधिकार शुल्क- प्रकार, विविध अधिकार शुल्क हेतु लेखांकन व्यवहार
3. किराया क्रय प्रणाली- अवधारणा एवं लक्षण, विक्रेता एवं क्रेता के पुस्तकों में लेखांकन प्रक्रिया, किराया क्रय बनाम किस्त भुगतान पद्धति
4. शाखा लेखांकन- आश्रित, अनाश्रित (स्वतंत्र) एवं विदेशी शाखाएं, लेखांकन व्यवहार- शाखा खाता, अन्तिम खाता, स्कन्ध एवं देनदार, थोक बिक्री शाखा विधियाँ
5. एकीकरण एवं पुनः निर्माण की समस्याएं (ए0एस0-14), सूत्रधारी कम्पनी के लेखे, रोकड़ प्रवाह विवरण (ए0एस0-3)
6. लागत लेखांकन की प्रकृति एवं कार्य, स्कन्ध मूल्यांकन विधियाँ, लागत पत्र का निर्माण, सीमान्त लागतांकन-अवधारणा, महत्व, सीमान्त बनाम अवशोषण लागतांकन, अंशदान, लाभ मात्रा अनुपात एवं सुरक्षा सीमा- उपात्त

##### **भाग-2: वित्तीय प्रबन्ध:**

1. वित्तीय प्रबन्ध की प्रकृति, क्षेत्र एवं उद्देश्य, पूंजी बजटन निर्णय- महत्व, प्रक्रिया एवं परिसीमाएं, पद्धतियाँ- प्रत्यावर्तन अवधि, शुद्ध वर्तमान मूल्य, आन्तरिक प्रत्याय दर, औसत प्रत्याय दर
2. अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालीन वित्त के स्रोत, पूर्वाधिकार एवं समता अंश, ऋणपत्र एवं बाण्ड वित्तीयन
3. कार्यशील पूंजी प्रबन्धन- वर्गीकरण, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी के खतरे, कार्यशील पूंजी आवश्यकता अनुमान के उपागम, रोकड़, स्कन्ध और प्राप्य प्रबन्धन के उपकरण
4. पूंजी की लागत- वर्गीकरण एवं निर्धारण, भारित औसत पूंजी लागत की गणना, उत्तोलक एवं इसके प्रकार
5. लाभांश नीति- निर्धारक, वाल्टर, गार्डन, मोदीग्लानी और मिलर उपागम, स्थिर लाभांश नीति के गुण एवं दोष
6. भारतीय पूंजी बाजार- प्रमुख विशेषताएं, पूंजी एवं मुद्रा बाजारों में भेद, पूंजी बाजार की खामियाँ, भारतीय स्कन्ध विनिमयों की कार्यप्रणाली, सेबी एक नियामक रूप में।

##### **वाणिज्य एवं लेखांकन**

##### **द्वितीय प्रश्नपत्र**

##### **(संगठनात्मक व्यवहार तथा मानव संसाधन प्रबन्ध)**

##### **भाग-1: संगठनात्मक व्यवहार**

1. संगठन की प्रकृति एवं अवधारणा, संगठनात्मक सिद्धान्त- परम्परावादी, नवपरम्परावादी, अफसरशाही एवं प्रणाली उपागम, केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीयकरण के गुण एवं अवगुण
2. शक्ति का आधार एवं स्रोत, शक्ति संरचना, बाधाएं एवं राजनीति
3. संगठनात्मक लक्ष्य- प्राथमिक, गौण, एकल एवं बहु लक्ष्य, लक्ष्यों का विस्थापन, उत्तराधिकार, विस्तार एवं गुणन
4. संगठन- प्रकार, संरचना, रेखा एवं स्टाफ, कार्यात्मक, समिति, आव्यूह एवं परियोजना, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, संगठनात्मक द्वन्द-कारण एवं समाधान
5. संगठनात्मक परिवर्तन- प्रकृति, महत्व, कारण, निवारण, परिवर्तन का प्रतिरोध एवं अनुकूलन

##### **भाग-2: मानव संसाधन प्रबन्ध**

1. मानव संसाधन प्रबन्ध- अवधारणा, उद्देश्य, महत्व, कार्य एवं मानव संसाधन प्रबन्धक की चुनौतियाँ
2. भर्ती एवं चयन, प्रशिक्षण की विधियाँ, अधिशासी विकास कार्यक्रम
3. अभिप्रेरणा- अवधारणा, सिद्धान्त-मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता, हर्जवर्ग का स्वास्थ्य एवं आरोग्य तथा एल्डरमैन का जेड सिद्धान्त, मनोबल के निर्धारक, मनोबल और उत्पादकता
4. नेतृत्व- प्रकार एवं शैली, मजदूरी-मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ, विभेदात्मक मजदूरी तथा भारत में मजदूरी नीति
5. औद्योगिक सम्बन्ध- प्रकृति, उद्देश्य, क्षेत्र एवं महत्व
6. सामूहिक सौदेबाजी- अवधारणा, विशेषताएं, सफल सौदेबाजी की आवश्यकताएं, प्रबन्ध में श्रमिकों की भागेदारी- भागेदारी के स्तर एवं स्वरूप, भारत में श्रमिकों की भागेदारी
7. औद्योगिक विवाद- विवाद के कारण, हड़ताल, तालाबन्दी, औद्योगिक विवादों की रोक- थाम एवं निपटारा, श्रम संघ- अवधारणा, प्रकार, भारत में श्रमसंघ आन्दोलन

#### **(28) लोक प्रशासन प्रश्न पत्र-1 (प्रशासनिक सिद्धान्त)**

1. मूल अवधारणा- लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व, लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में क्रम-विकास (नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबन्धन, नवीन लोक सेवायें) लोक और निजी प्रशासन, विकसित एवं विकासशील समाजों में इसकी भूमिका, प्रशासन की पारिस्थितिकी- सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक।
2. प्रशासन के सिद्धान्त- शास्त्रीय सिद्धान्त (हेनरी फयोल, लूथर गुलिक तथा अन्य) वैज्ञानिक प्रबन्धन, (टेलर

एवं उनके सहयोगी), अधिकारी तंत्र का सिद्धान्त (मैक्स वेबर और उसके आलोचक) मानव सम्बंध सिद्धान्त (एल्टन मेयो और उनके साथी) व्यवस्था दृष्टिकोण (वेस्टर बरनार्ड)।

3. संगठन के सिद्धान्त- पद सोपान, आदेश की एकता, नियन्त्रण का क्षेत्र, सत्ता, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, समन्वय, सम्प्रेषण, पर्यवेक्षण, केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीयकरण, प्रत्यायोजन।
4. प्रशासनिक व्यवहार- हरबर्ट साइमन के योगदान के विशेष सन्दर्भ में निर्णयन, सम्प्रेषण, मनोबल, अभिप्रेरण और नेतृत्व के सिद्धान्त।
5. संगठन की संरचना- मुख्य कार्यकारी एवं उनके कार्य, सूत्र, मंत्रणा एवं सहायक अभिकरण विभाग, निगम, कम्पनी बोर्ड एवं आयोग, मुख्यालय - क्षेत्र सम्बन्ध।
6. कार्मिक प्रशासन- नौकरशाही तथा लोक सेवा, वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, वृत्ति विकास, निष्पादन मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन संरचना, सेवा शर्तें, सत्यनिष्ठा एवं अनुशासन, नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध, सेवानिवृत्ति लाभ, सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ तटस्थता एवं अनामता।
7. वित्तीय प्रशासन- बजट की संकल्पना, बजट निर्माण, विधायन तथा कार्यान्वयन, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, लेखा एवं लेखा परीक्षण।
8. उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण- उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की अवधारणा, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी, न्यायिक तथा नागरिक नियंत्रण।
9. प्रशासनिक सुधार- संकल्पनाएं एवं प्रक्रियायें, ओ तथा एम, कार्य अध्ययन और उसकी तकनीक, समस्यायें एवं सम्भावनायें।
10. प्रशासनिक विधि- अवधारणा एवं महत्व, प्रत्यायोजित विधायन, अर्थ, प्रकार, लाभ, सीमायें एवं सुरक्षा, प्रशासनिक अधिकरण।
11. तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन- अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, प्रिजमैटिक-साला, प्रतिरूप के विशेष सन्दर्भ में फ्रेड रिंस का योगदान, विकास प्रशासन की अवधारणा: क्षेत्र, महत्व, विकास प्रशासन का राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक - सांस्कृतिक सन्दर्भ, प्रशासनिक विकास की संकल्पना।
12. लोक नीति- संकल्पनाएं एवं महत्व, लोक नीति के सिद्धान्त, लोक नीति- निर्धारण, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन।

#### **लोक प्रशासन प्रश्न पत्र-2 भारतीय प्रशासन**

1. भारतीय प्रशासन का क्रमिक विकास- मौर्य, मुगल एवं ब्रिटिश कालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं।
2. संवैधानिक परिवेश- संसदीय लोकतंत्र, संघवाद, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद।
3. संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमण्डल समितियाँ।
4. केन्द्रीय प्रशासन की संरचना- केन्द्रीय सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, मंत्रालय एवं विभाग बोर्ड तथा आयोग, क्षेत्रीय संगठन।
5. केन्द्र- राज्य सम्बन्ध: विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय।
6. लोक सेवायें- अखिल भारतीय, केन्द्रीय तथा राज्य सेवायें, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवकों का प्रशिक्षण।
7. योजना तंत्र- राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य, जिला स्तर पर योजना तंत्र।
8. लोक क्षेत्र उपक्रम- प्रकार, उच्च स्तरीय प्रबन्धन, नियंत्रण एवं समस्यायें।
9. लोक व्यय पर नियन्त्रण- संसदीय नियंत्रण, वित्त मंत्रालय की भूमिका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
10. कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी प्रशासन- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में केन्द्रीय तथा राज्य अभिकरणों की भूमिका।
11. राज्य प्रशासन- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, सचिवालय, निदेशालय।
12. जिला प्रशासन- भूमिका एवं महत्व, जिलाधिकारी, भूराजस्व, कानून एवं व्यवस्था तथा विकास सम्बन्धी कार्य, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विशेष कार्यक्रम।
13. स्थानीय प्रशासन- पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय शासन, लक्षण, प्रकार एवं समस्यायें, स्थानीय निकायों की स्वायत्तता।
14. कल्याण हेतु प्रशासन- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विशेष सन्दर्भ में कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रशासन, महिला कल्याण हेतु कार्यक्रम।
15. भारतीय प्रशासन के प्रासंगिक मुद्दे- राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालकों के मध्य सम्बन्ध, प्रशासन में सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, प्रशासन में जनसहभागिता, जनता की शिकायतों का निवारण लोकपाल एवं लोक आयुक्त, भारत में प्रशासनिक सुधार।

#### **(29) चिकित्सा विज्ञान प्रश्न पत्र-प्रथम**

1. मानव शरीर : सकलशरीर, अनुप्रयुक्त शरीर, सक्तसंभरण एवं जिह्वा का लिफ़ीय अपवाह, थायरॉइड, स्तन ग्रंथि, जठर, यकृत, प्रॉस्टेट, जननग्रंथि गर्भाशय, हृदय एवं फेफड़े।  
उपरि एवं अधोशाखाओं, स्कंधसंधियों, कूल्हे एवं कलाई में रक्त एवं तंत्रिका संभरण समेत अनुप्रयुक्त शरीर।  
डायफ्राम, पेरीनियम एवं वंक्षणप्रदेश का अनुप्रयुक्त शरीर।  
वृक्क, मूत्राशय, गर्भाशय नलिकाओं, शुक्रवाहिकाओं का अनुप्रयुक्त शरीर।
- भ्रूणविज्ञान : अपरा एवं अपरा रोध। हृदय, आंत्र, वृक्क, गर्भाशय, डिंबग्रंथि, वृषण का विकास एवं उनकी सामान्य जन्मजात असामान्यताएं।  
केन्द्रीय एवं परिसरीय स्वसंचालित तंत्रिका तंत्र:  
मस्तिष्क के निलयों, प्रमस्तिष्कमेरु द्रव के परिभ्रमण का सकल एवं रोगलक्षण शरीर, तंत्रिका मार्ग एवं त्वचीय संवेदन, श्रवण एवं दृष्टि शिक्षित, कपाल तंत्रिकाएं, वितरण एवं रोगलाक्षणिक महत्व, स्वसंचालित तंत्रिका तंत्र के अवयव, इंटरनल कैप्सूल एवं सेरिब्रल कार्टेक्स।
2. ह्युमन फिजीयोलोजी  
1. ब्लड- इम्युनिटी, टीसेल, बीसेल।  
2. सी0वी0एस0- कार्डियक साइकिल,  
3. रैस्पिरेशन- आब्सट्रैक्टिव डीजीज, एसिडबेस बैलेन्स।  
किडनी- मिकटयूरेशन रीफलेक्स, रीनल स्टोन,  
जीआईटी- लीवर फेलियर, जौनडिस, (आब्सट्रैक्टिव, हिपैटिक, हेमोलाइटिक) एक्यूट पेनक्रिटाइटिस  
एण्डोक्राइन- ग्वाइटर माइलाइटिस, आसटियोमलेशिया, मास्टरगलैण्ड  
नर्वस-सिस्टम - सैरिब्रल स्ट्रोक, पार्किन्सन डीजीज, हैमीपिलीजिया, पैरापीलिलिजिया  
स्पेशल सेन्सेस- नाइट ब्लाइण्डनेस, कैटेरेक्ट, मायोपिया। हाइपर मैट्रोपिया, एम्बलायोपिया  
रिप्रोडक्शन- प्रेगनेन्सी टेस्ट, लैक्टेशन, एमीनोरिया, स्टरलिटी इन मेल एवं फिमेल, ओव्यूलेशन, स्पर्म काउण्ट।
3. जैव रसायन :-  
1. अंगकार्य परीक्षण- यकृत, वृक्क, थायरॉइड।  
2. प्रोटीन संश्लेषण  
3. विटामिन एवं खनिज  
4. पालीमेरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया (पीसीआर)  
5. किण्वक एवं जैव चिन्ह  
6. मधुमेह एवं रक्त शर्करा स्तर

Cont..

<p>7. डी एन ए प्रतिरूप</p> <p>8. आर एन ए प्रतिलिपि</p> <p>9. डी एन ए मरम्मत तंत्र</p> <p>10. लिपिड प्रोफाइल</p> <p>11. पोषण</p> <p>12. रूधिर वर्णिका</p> <p>13. मुक्त कण एवं आक्सी करण रोधी</p> <p><b>4. विकृति विज्ञान :</b> थोथ एवं विरोहण, वृद्धि विक्षोथ एवं कैन्सर रहयूमैटिक एवं इस्कीमिक हृदय रोग एवं डायबिटीज मेलिटस का विकृतिजनन एवं ऊतकविकृति विज्ञान। सुदम्य, दुर्दम, प्राथमिक एवं विक्षेपी दुर्दमता में विभेदन, श्वसनीजन्य कार्सिनोमा का विकृतिजनन एवं ऊतकविकृति विज्ञान, स्तन कार्सिनोमा, मुख कैंसर, ग्रीवा कैंसर, ल्यूकीमिया, यकृत सिरोसिस, स्तकवृक्कशोथ, यक्ष्मा तीव्र अस्थिमज्जाशोथ का हेतु, विकृतिजनन एवं ऊतक विकृति विज्ञान, रक्तअल्पता, थैलेसीमिया, फ़ैटी लीवर, अपेन्डिक्स शोथ, पित्त की थैली की पथरी, स्वप्रतिरक्षित रोग, स्टेम कोशिका।</p> <p><b>5. सूक्ष्म जैविकी:-</b> देहद्रवी एवं कोशिका माध्यमित रोगक्षमता, काक्स पाश्चुलेट निम्नलिखित रोगकारक एवं उनका प्रयोगशाला निदान:  — मेर्निगोकाक्कस, सालमोनेला  — ट्यूबरकूलोसिस, शिंगेला, हर्पीज, डेंगू, पोलियो, बैक्टीरियोफेजेस, इन्फ़ेलुएन्जा वायरस, जैपानीज एन्सेफ़लाइटिस  — एच0आई0वी0/एडस, मलेरिया, एन्टअमीबा हिस्टोलिटिका, गियार्डिया  — कैंडिडा, क्रिप्टोकोक्कस, ऐस्पेर्जिलस</p> <p><b>6. भेषजगुण विज्ञान:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• औषधि नामकरण</li> <li>• प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया</li> <li>• औषधि अधिनियम एवं औषधि अनुसूची</li> <li>• औषधि का नैदानिक परीक्षण</li> <li>• औषधि की आयु</li> <li>• औषधि का प्रचार</li> <li>• मादक पदार्थों की लत (ड्रग एडक्शन)</li> <li>• फार्माकोविजिलेन्स कार्यक्रम</li> <li>• औषधि हेतु पर्चा लिखना</li> <li>• निम्नलिखित औषधियों का पार्श्वप्रभाव:  — ऐन्टिपायरेटिक्स एवं, एनाल्जेसिक्स, ऐन्टिबायोटिक्स, ऐन्टिमलेरिया, ऐन्टिकालाजार, ऐन्टिडायबेटिक्स  — ऐन्टिहायपरटेंसिव, ऐन्टिवाइरल, ऐन्टिपैरासिटिक, ऐन्टिफंगल, इन्सुलिनसंश्लेषक, ऐन्टिकैंसर, ऐन्टीडायरियल, ऐन्टीटुबरकुलर, डाययूरेटिक।</li> </ul> <p><b>7. न्याय संबंधी औषध एवं विषविज्ञान:</b> चिकित्सकीय आचार संहिता और कानून, गर्भावस्था, प्रसव एवं गर्भपात—चिकित्सा विधिक संदर्भ में, यौन अपराध, क्षति एवं घावों की न्याय संबंधी परीक्षा, रक्त एवं शुक्र धब्बों की परीक्षा, विषाक्तता, शामक अतिमात्रा, फांसी, डूबना, जलना, डी0एन0ए0 एवं फिंगरप्रिंट अध्ययन।</p> <p align="center"><b>— चिकित्सा विज्ञान प्रश्नपत्र— द्वितीय</b></p> <p><b>1. सामान्य काय चिकित्सा:-</b></p> <p><b>(अ)</b> कारण, रोग के लक्षण, निदान एवं प्रबन्धन (निवारण एवं रोकथाम सहित) व सिद्धान्त : टिटनेस, रैबीज, एचआईवी/एडस, डेन्गू, जापानी इन्सेफ़लाइटिस, टायफाइड, कुष्ठरोग, तपेदिक, मलेरिया, भारतीय कालाजार, रूह्युमैटिक हृदय रोग।</p> <p><b>(ब)</b> कारण, रोग के लक्षण, निदान एवं प्रबन्धन के सिद्धान्त : हृदय धमनियों के अवरोध (IHD) रक्तचाप, मधुमेह, हाईपर थायोरॉइडसिम, हाईपो थायोरॉइडसिम, मिर्गी, अस्थमा, क्रानिक आब्सेटिव लंग रोग (COPD), पिल्युरल इन्फ़ेक्शन वाइरलहेपेटाइटिस यकृत सिरोसिस पेप्टिक रोग, न्युमोनिया, अक्यूपेशनल, फेफड़ा रोग।</p> <p><b>(स)</b> कारण रोग के लक्षण, निदान एवं प्रबन्धन के सिद्धान्त : ग्लोमरूलोनेफराइटिस, नेफ्रोपैथी/नेफ्रेटिक सिन्ड्रोम, वृक्कपात, हाइपोनेट्रिमिया, थैलेसीमिया, एनिमिया, हिमोफिलिया, रक्त कैंसर, लिम्फोमा, गठिया रोग, आस्टियोपोरोसिस, मूत्र नलिका संक्रमण, मेनेनजाइटिस, इन्सेफ़ेलाइटिस,</p> <p><b>(द)</b> मेडिकल आकस्मिक रोग : लू, डूबना, आरगेनो फासफोरस विषक्तता, अलमूनिया फासफाइड विषक्तता।</p> <p><b>(य)</b> एंगजाइटिस, साइकोसिस, डिमेंसिया</p>	<p><b>(र)</b> मेडिको लीगल विषयक: गले की फॉंसी, अल्कोहलिस्म</p> <p><b>(व) काय चिकित्सा में परीक्षण :</b> अल्ट्रासाउण्ड, सी टी स्कैन, एम आर आई, इकोकार्डियोग्राफी, इन्डोस्कोपी, बोन मैरो एस्पिरेशन, सीएसएफ फ्लूड परीक्षण, पूर्ण रक्त परीक्षण (CBC).</p> <p><b>2. बालरोग विज्ञान :</b> रोगप्रतिरोधीकरण, बेबी-फेडली अस्पताल, स्तनपान, जन्मजात प्याव हृदय रोग, श्वसन विक्षोभ संलक्षण, श्वसनी-फुफुसशोथ, (ब्रॉन्कोन्युमोनिया), नवजात शिशु कामला, प्रमस्तिष्कीय नवजात कामला, IMNCI वर्गीकरण एवं प्रबंधन, PEM कोटिकरण एवं प्रबंध, ARI एवं दस्त (अतिसार) पाँच वर्ष से छोटे बच्चों में एवं प्रबंध।</p> <p><b>3. त्वचा विज्ञान:</b> स्त्रोरिएसिस, स्केबीज, एकजीमा, विटिलिगो, स्टीवन जानसन सिन्ड्रोम एवं टी0ई0एन0, लाइकेन प्लेनस। कुष्ठ रोग, त्वचा के बैक्टेरियल, वायरल एवं फंगल संक्रमण।</p> <p><b>4- सामान्य शल्य चिकित्सा:</b> खंडतालु खंडोष्ठ की रोगलक्षण विशेषता, कारण एवं प्रबंध के सिद्धान्त। स्वरयंत्रीय अर्बुद, मुख एवं ईसोफेगस अर्बुद। परिधीय धमनी रोग, वेरिकोज वेन्स, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि के अर्बुद। फोड़ा, कैंसर, स्तन का तंतुग्रंथि अर्बुद एवं ग्रंथिलता पेप्टिक अल्सर रक्तस्राव, आंत्र यक्ष्मा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जठर कैंसर, वृक्क मांस, प्रोस्टेट कैंसर, सुसाध्य प्रास्टेट हाइपरप्लेसिया (बी0पी0एच0)। हीमोथोरेक्स, पित्ताशय, वृक्क, यूरेटर एवं मूत्राशय की पथरी। रेक्टम, एनस, एनल कैनल, पित्ताशय एवं पित्तवाहिनी की शल्य दशाओं का प्रबंध।</p> <p>पोर्टल अतिरक्तदाब, यकृत फोड़ा, पेरीटोनाइटिस, पेरीएम्मुलरी कार्सिनोमा।</p> <p>रीढ़ विभंग, कोली विभंग एवं अस्थि ट्यूमर</p> <p>एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी।</p> <p>उन्नत आघात जीवन समर्थन प्रणाली (ए0टी0एल0एस0)।</p> <p>सर्जिकल एथेक्सिस।</p> <p><b>5- प्रसूति विज्ञान एवं परिवार नियोजन समेत स्त्री रोग विज्ञान:-</b> फर्टिलाइजेशन व इम्प्लान्टेशन, प्लेसेन्टा का विकास, कार्य, विकृतियों व उनका निदान। गर्भावस्था में देखभाल सगर्भता का निदान प्रसव प्रबंध, तृतीय चरण उपद्रव, प्रसवपूर्ण एवं प्रसवेत्तर रक्त स्राव, नवजात का पुनरुज्जीवन, असामान्य स्थिति एवं कठिन प्रसव का प्रबंध, कालपूर्व प्रसव, कम बढ़त वाले नवजात का प्रबंध। बर्थ इन्जीयरीस। अरक्तता का निदान एवं प्रबंध। सगर्भता का प्रीएक्लैप्सिया एवं एक्लैप्सिया आर0एच0 निगेटिव, मधुमेह व अधिसंख्य गर्भधारण। इंटर- यूटैरीन युक्तियों गोलियों, ट्यूबेक्टॉमी एवं वैसेक्टॉमी। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन जिसमें विधिक पहलू शामिल हैं। गर्भाशय का विकास, विकृतियों एवं उनका निदान, गर्भपात एवं एक्टापिक प्रेगनेन्सी का कारण एवं निवारण, यूपी से श्राप, पेल्विक पेन, बंध्यता, एबनार्मल यूटैरीन रक्तस्राव (AUB), अमीनोरिया, यूटरस का तंतुपेशी (फायब्रायड)अर्बुद एवं भ्रंश। रजोनिवृत्त्युत्तर संलक्षण का प्रबंध, ग्रीवा कैंसर, गर्भाशय एवं अण्डाशय का कैंसर</p> <p><b>6. समुदाय कायचिकित्सा (निवारक एवं सामाजिक कार्य चिकित्सा)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्वास्थ्य एवं रोगों सम्बन्धी अवधारणाएँ।</li> <li>2. सिद्धान्त, प्रणाली, उपागम एवं जनपदिक रोग विज्ञान का मापन।</li> <li>3. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, पोषण सम्बन्धी रोग/विकास एवं राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम।</li> <li>4. पर्यावरण के घटक, प्रदूषण सम्बन्धी रोग एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, अस्पताल एवं उद्योग अपशिष्ट प्रबन्धन।</li> <li>5. स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य सांख्यिकी, जनसांख्यिकी, सूचना प्रसार एवं सम्प्रेरण से संबंधित मूलभूत बातें।</li> <li>6. स्वास्थ्य प्रबन्धन एवं प्रशासन- तकनीक, साधन, कार्यक्रम, कार्यन्वयन एवं मूल्यांकन।</li> <li>7. स्वास्थ्य देखभाल प्रदाय प्रणाली का क्रांतिक मूल्यांकन।</li> <li>8. जनन एवं शिशु स्वास्थ्य के उद्देश्य, घटक, लक्ष्य एवं स्थिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सहाश्राप्दी एवं सतत विकास लक्ष्य।</li> <li>9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के उद्देश्य, घटक एवं क्रांतिक विश्लेषण (क) संचारी रोग (कीटजनित रोग नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम, ने0वे0 बार्न डीजीज कन्ट्रोल कार्यक्रम), (ख) गैर संक्रामक रोग (गैर संक्रामक रोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम)</li> <li>10. व्यवसाय सम्बन्धित स्वास्थ्य।</li> <li>11. आपदा प्रबंधन एवं मेले एवं त्योहारों में स्वास्थ्य प्रबन्धन।</li> <li>12. स्वास्थ्य से सम्बन्धित नीतियों, अधिनियम एवं कानून।</li> <li>13. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन।</li> </ol> <p align="right"><b>सचिव</b></p>
---	---